

63वीं वार्षिक रिपोर्ट
63rd Annual Report
2018-19



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

63वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
63rd Annual Report 2018-19

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	2
सूचना/Notice	5
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	6
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	60
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	97
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	98
तुलन-पत्र/Balance Sheet	99
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	102
अनुसूची 1 से 24/Note 1 to 24	104
लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं	134
Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Financial Statement	134
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	166

निदेशक मंडल

श्री धर्म पाल, आई.ए.एस.

अतिरिक्त सचिव

उर्वरक विभाग

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार

(22.02.2018 से)

श्री निरंजन लाल

निदेशक

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार

(04.10.2017 से)

श्री अनिल कुमार वी. पाटिल

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(08.09.2016 से)

श्री हरविंदर सिंह

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(14.11.2018 से)

श्री डी.पी. श्रीवास्तव

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(14.01.2016 से 14.11.2018 तक)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Dharam Pal, IAS

Additional Secretary,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional Charge of Chairman &

Managing Director

(w.e.f. 22.02.2018)

Shri Niranjana Lal

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional Charge of Director (Finance)

(w.e.f. 04.10.2017)

Shri Anilkumar V. Patil

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 08.09.2016)

Shri Harvinder Singh

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 14.11.2018)

Shri D.P. Srivastava

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(From 14.01.2016 to 14.11.2018)

प्रमुख कार्यपालक

श्रीमती रेखा शर्मा
उप सचिव (पी.एस.यू.) एवं सतर्कता
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(06.07.2017 से)

श्रीमती सिओन कोंगारी
सलाहकार

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री डी.डी. अधिकारी
प्रभारी, सिन्दरी एकक

श्री ए.एन. तिवारी
सलाहकार एवं प्रभारी, गोरखपुर एकक

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी
प्रभारी, रामागुण्डम एकक

श्री डी. पांडा
प्रभारी, तलचर एकक

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	–	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	–	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	–	तेलंगाना

PRINCIPAL EXECUTIVES

Smt. Rekha Sharma
Dy. Secretary (PSU) & Vig.
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 06.07.2017)

Smt. Sion Kongari
Advisor

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri D.D. Adhikary
Incharge, Sindri Unit

Shri A.N. Tiwari
Advisor Cum-Incharge, Gorakhpur Unit

Smt. M.N. Maleshwari
Incharge, Ramagundam Unit

Shri D. Panda
Incharge, Talchar Unit

Shri R.L. Deshbhratar
Incharge, Korba Division

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	–	Jharkhand
Gorakhpur Unit	–	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	–	Telangana

तलचर एकक – ओडिशा
कोरबा प्रभाग – छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय – नोएडा (यू.पी.)

Talcher Unit – Odisha
Korba Division – Chhatisgarh
Central Office – Noida (U.P.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

REGISTERED OFFICE

7, Institutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

लेखा परीक्षक

मैसर्स आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. R.K. Tuli & Associates
Chartered Accountants, New Delhi

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
सिंडीकेट बैंक

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
Syndicate Bank

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स हम्मुराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2019, सांध्य 3.30 बजे, कान्फ्रेंस रूम, दूसरी मंजिल, ए विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

1. “31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सी ए जी की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।”
2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-
“भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित किया जाता है।”

बोर्ड के आदेश से
ह०/-
(निरंजन लाल)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : अक्टूबर 9, 2019
टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी
प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,
(डी ई 1062), 11/37, ओल्ड राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110060
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Friday, 18th October, 2019 at 3.30 PM in the Conference Room, 2nd Floor, A Wing, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business:-

1. “To receive and adopt the Directors’ Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors’ Report and CAG Comments for the year ended 31st March, 2019”.
2. To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-
“Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2019-2020 be fixed by the Board of Directors of the Corporation.”

By Order of the Board

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)

Dated : October 9, 2019

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:
All Shareholders.
Copy to:-

1. M/s. R.K. Tuli & Associates,
Chartered Accountants,
(DE 1062), 11/37, Old Rajinder Nagar,
New Delhi-110060
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2017-18 के 113.95 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2018-2019 में 164.78 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड़ रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान जीएसटी, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 92.60 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 63rd Annual Report of the Company together with the audited accounts and the Auditors' Report for the year ended 31st March 2019.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company earned a net Profit of Rs.164.78 Crore in 2018-2019 as against a net profit of Rs.113.95 crore during 2017-2018.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore during FY 2018-19.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs.2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs.7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.92.60 crore by way of GST, Service Tax, Sales Tax, Excise Duty, Income Tax, Electricity Duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./ कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में चार इकाइयों का पुनरुज्जीवन हो रहा है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और इन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। यहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 कम्पनी का पुनरुज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरुज्जीवित

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GoI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent upon the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, four of the units are currently under revival.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand-supply gap of Urea in the country, and the availability of fully-developed infrastructure in all the units of the Company, Government of India felt that it is essential

करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एककों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

“गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ‘सिद्धान्त रूप में’ निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरुज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये”।

- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी और आगे चलकर वर्ष 2015 में संशोधन किया।

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

एमपावर्ड कमेटी ऑफ सैक्रेट्रीस (ई.सी.ओ.एस.) की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरुज्जीवन के अन्य पारामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

to revive the closed fertilizer units. The Hon’ble High Court of Delhi, where the Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken into cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006.

- Considering the availability of fully-developed land along with water and power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

“decided ‘in principle’ to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas”.

- Government of India approved new investment policy for the Urea Sector in the year 2012 and subsequently amended the same in the year 2015.

CCEA Approval of ECOS Recommendation

On the recommendations of Empowered Committee of Secretaries (ECOS), CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि निवल पूँजी को धनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरुज्जीवित किया जा सके।

पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

रामागुण्डम एकक

- एन.एफ.एल. और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम मै. रामागुण्डम फर्टिलाजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर एफ सी एल) का 17.2.2015 को गठन किया गया है। एफ सी आई एल की यूनिट के आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये 11 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।
- आर एफ सी एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) एफ सी आई एल के नामित निदेशक हैं।
- 25.9.2015 परियोजन की शून्य दिनांक हैं।
- एफ सी आई एल और आर एफ सी एल के बीच रियायत समझौता और पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर हो गये हैं। आर एफ सी एल और एफ सी आई एल के मध्य प्रतिस्थापन समझौता हुआ है।
- आर एफ सी एल ने 31.8.2019 तक 98 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रगति कर लिया है।

तलचर एकक

- आर.सी.एफ., सी.आई.एल, गेल और एफ सी आई एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, (टी एफ एल) का गठन हुआ है।
- एकक की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के बदले में 11 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of GoI loan & interest to make FCIL a positive net worth Company and to enable FCIL to take up the revival as approved by CCEA earlier.

Present Status of Revival

Ramagundam Unit :

- A Joint Venture 'Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited' (RFCL) has been incorporated on 17.2.2015 with the participation of NFL, EIL & FCIL. FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL, is the FCIL nominated Director on the Board of RFCL.
- Zero date of the project is 25.9.2015.
- Concession Agreement & Lease Agreement have been signed between FCIL & RFCL. Substitution Agreement has been signed amongst RFCL, Lenders 'representative of RFCL and FCIL'.
- RFCL has achieved a physical progress of 98% as on 31.8.2019.

Talcher Unit:

- A Joint Venture 'Talcher Fertilizers Limited' (TFL) has been incorporated with the participation of RCF, CIL, GAIL & FCIL.
- FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.

- टी एफ एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) नामित निदेशक हैं।
- पी डी आई एल द्वारा तैयार किये गये टी ई एफ आर पर रिपोर्ट को एस बी आई सी ए पी एस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- संयुक्त उद्यम ने कोयला पर आधारित यूरिया फर्टिलाइजर कम्प्लैक्स लगाने के लिये शैल कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी को चुन लिया है।
- संयुक्त उद्यम को तलचर में (अर्कापल के उत्तर में) कोयला खदान आवंटित किया गया है।
- मै. वुहुआन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, चीन को कोल गैसीफिकेशन पैकेज का ठेका दिया गया है।

सिन्दरी और गोरखपुर एकक

- कैबिनेट ने वर्ष 2016 में एफ सी आई एल के गोरखपुर और सिन्दरी एककों को वित्तीय रूप से मजबूत एन टी पी सी, सी आई एल और आई ओ सी एल के द्वारा पुनरुज्जीवन के लिये स्वीकृति दी थी।
- गोरखपुर और सिन्दरी एकक के पुनरुज्जीवन के लिये एन टी पी सी, सी आई एल, आई ओ सी एल, एफ सी आई एल और एच एफ सी एल की संयुक्त उद्यम के रूप में हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एच यू आर एल) का गठन किया गया है।
- एफ सी आई एल के गोरखपुर एकक के पुराने प्लांट का निपटान पूरा हो गया है और कार्यस्थल एच यू आर एल को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- एफ सी आई एल और एच यू आर एल के मध्य रियायत समझौता और पट्टा डीड पर हस्ताक्षर हो गये हैं।
- एफ सी आई एल के सिन्दरी एकक के पुराने प्लांट का निपटान प्रगति पर है। परियोजना स्थल एच यू आर एल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

- Director (Finance), FCIL is the nominated Director on the Board of TFL.
- SBICAPS have submitted their Report on TEFR prepared by PDIL.
- The Joint Venture has selected Shell Coal Gasification Technology for setting up a coal-based Urea Fertilizer Complex.
- The Joint Venture has been allocated Coal Mine (North of Arkapal) in Talcher.
- Contract for coal gasification package has been awarded to M/s. Wuhuan Engineering Company Ltd., China.

Sindri & Gorakhpur Units:

- Cabinet in the year 2016, approved revival of Gorakhpur & Sindri Units of FCIL by financially strong PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL.
- Joint Venture of NTPC, CIL, IOCL, FCIL & HFCL namely Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd. (HURL) has taken up revival of Gorakhpur and Sindri Unit.
- Disposal of old plant at Gorakhpur Unit of FCIL has been completed and the site has been handed over to HURL.
- Concession Agreement and Lease Deed have been signed between FCIL & HURL.
- Disposal of old plants at Sindri Unit of FCIL is in progress. Project site has been handed over to HURL.

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2018-2019 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है। सुश्री रेखा शर्मा, निदेशक, उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये रोकथाम के विभिन्न उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

31.3.2019 को कर्मचारियों की संख्या 4 है। ये कर्मचारी कम्पनी के पुनरुज्जीवन गतिविधि के साथ-साथ निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2018-19

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Ms. Rekha Sharma, Director, Department of Fertilizers, is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. She provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programmes and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However, due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

The staff strength as on 31.3.2019 is 04. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to

के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिये मै. आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स को सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

discharge statutory obligations of the Company, apart from revival activities of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of the company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. R.K. Tuli & Associates were appointed as statutory auditors for the financial year 2018-19.

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कम्पनी के लेखों पर एक रिपोर्ट दे दी है।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2018-19 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अनुलग्नक में संलग्न है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का और विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

15.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2018-19.

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Accounts have been submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013. Comments of CAG for the year 2018-19 are enclosed at Annexure.

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2019; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

17.2 वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार आवश्यक है, अनुलग्नक-1, में एम.जी.टी.-9 में वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष इस वार्षिक रिपोर्ट प्रारूप का हिस्सा है।

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री धर्म पाल, आई.ए.एस., अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	22.02.2018	अब तक
2. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	8.9.2016	अब तक
3. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4.10.2017	अब तक
4. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (डी.आई.एन.-06433221)	14.1.2016	14.11.2018
5. श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-08123352)	14.11.2018	अब तक

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The accounts for the financial year 2018-19 have been prepared on “Going Concern” basis.

17.2 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required, pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule 2014, an extract of Annual Return in MGT 9 is a part of this Annual Report format at Annexure-I.

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Dharam Pal, IAS, C&MD (DIN-02354549)	22.02.2018	Till date
2. Shri Anilkumar V. Patil, Director (DIN-07039255)	08.09.2016	Till date
3. Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	04.10.2017	Till date
4. Shri D.P. Srivastava, Director (DIN-06433221)	14.01.2016	14.11.2018
5. Shri Harvinder Singh, Director (DIN-08123352)	14.11.2018	Till date

18.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री धर्म पाल, अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	4
2.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	2
3.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4
4.	श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (डी.आई.एन.-06433221)	2
5.	श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-0812352)	1

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 177 “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 15.3.2019 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल,	-	अध्यक्ष निदेशक
2. श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक	-	सदस्य
3. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त)	-	सदस्य

18.1 There were 4 meetings of Board of Directors during the financial year 2018-19. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Board Meetings Attended
1.	Shri Dharam Pal, C&MD (DIN-02354549)	4
2.	Shri Anilkumar V Patil, Director (DIN-07039255)	2
3.	Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	4
4.	Shri D.P. Srivastava, Director (DIN-06433221)	2
5.	Shri Harvinder Singh, Director (DIN-08123352)	1

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a new section 177, i.e. “Audit Committee” has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 15.3.2019 comprising of the following Directors:

1. Shri Anilkumar V Patil,	-	Chairman Director
2. Shri Harvinder Singh, Director	-	Member
3. Shri Niranjana Lal,	-	Member Director (Finance)

19.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	लेखा परीक्षा सीमित की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	2
2.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	3
3.	श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-0812352)	-

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-
(निरंजन लाल)

निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

(डीआईएन-07965269)

19.1 There were 3 meetings of Audit Committee during the financial year 2018-19. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Audit Committee Meetings Attended
1.	Shri Anilkumar V Patil, Director (DIN-07039255)	2
2.	Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	3
3.	Shri Harvinder Singh, Director (DIN-08123352)	-

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)
(DIN-07965269)

Place : New Delhi

Dated : 27th September, 2019

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2019
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1)
of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN : U74899DL1961GOI003439
- ii) Registration Date : 24.04.1961
- iii) Name of the Company : Fertilizer Corporation of India Limited
- iv) Category/Sub-Category of the Company : Limited by shares - Union Govt. Company
- v) Address of the Registered Office and contact details : 7, Institutional Area, Core III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
- vi) Whether listed company : No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any. : Registrar of Companies,
NCT of Delhi & Haryana, IFCI Tower, 4th Floor,
Nehru Place, New Delhi-110019.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Urea	ITC Code 31021000 when Plants were in operation	
2	Ammonium Nitrate	ITC Code 31023000 when Plants were in operation	

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

SL. NO.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDIG/SUBSIDIARY /ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Fertilizer Corporation of India Limited	U74899DL 1961GOI003439	Private Company	100% by GOI	Section 3(1) (iii) Companies Act 1956

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian g) Individual/ HUF h) Central Govt i) State Govt (s) j) Bodies Corp. k) Banks / FI l) Any Other.... Sub-total (A) (1):- (2) Foreign a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... Sub-total (A) (2):- Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify) Sub-total (B)(1):- 2. Non- Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual share holders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh c) Others (specify) Sub-total (B)(2):- Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2) C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs Grand Total (A+B+C)									
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year				% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	Share transferred in the name of:	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	Dharam Pal	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
2	R.S. Yadav	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
3	Rekha Sharma	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
4.	Partha Sarthi Sen Sharma	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
5.	A. Sahoo	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
6.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
7.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014		
8.	President of India	7509232	99.99	Nil	-	7509232	99.99	Nil	Nil
	Total	7509239	100	Nil	-	7509239	100	Nil	Nil

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	7509239 of Rs.1000/- each	100%	7509239 of Rs. 1000/- each	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Please refer Sl. No. ii above shareholding of promoters			
	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year	Shri Dharam Pal C&MD	0.000014		
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP				
	Dharam Pal	One	0.000014		
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year	One	0.000014	One	0.000014

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year				
· Addition				
· Reduction				
Net Change Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		Sh. Dharam Pal C&MD w.e.f. 22.02.2018 till date	Sh. Niranjana Lal, Director (Fin) 04.10.2017 to till date WTD			
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of CMD of FCIL.	He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of Dir. (F) of FCIL			Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil			Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil			Nil

2.	Stock Option				
3.	Sweat Equity				
4.	Commission - as % of profit - others, specify...				
5.	Others, please specify				
	Total (A)				
	Ceiling as per the Act				

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		----	----	---		
	3. Independent Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (1)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	4. Other Non-Executive Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (B)=(1+2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total Managerial Remuneration	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Overall Ceiling as per the Act	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A

	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A
2.	Stock Option	N.A	N.A	N.A	N.A
3.	Sweat Equity	N.A	N.A	N.A	N.A
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	Nil	Nil	Nil

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
B. DIRECTORS					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

ANNEXURE-II

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 20.8.2018 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 20.8.2018) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका इक्विटी में परिवर्तन पर विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है। (एतद द्वारा "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त इण्ड ए एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुसार वांछित सूचना को उचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और आमतौर से भारत में स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धान्तों जिसमें भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) शामिल है और उसके लाभ को और उसके नकदी प्रवाह और वर्ष के लिये इक्विटी में परिवर्तन को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिये, के साथ पुष्टि में 31 मार्च 2019 को कंपनी सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

Report on the Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as “the financial statements”).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind-AS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (“the Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Indian Accounting Standards (“Ind-AS”), of the state of affairs(financial position) of the Company as at 31 March 2019 and its profit, and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

मत के लिये आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) (एस ए) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक हैं और हमने नैतिक जिम्मेदारियों और आई सी ए आई की आचार संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act ("SAs"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") together with the independence requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी को तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स और शेयर धारक की जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्मिलित नहीं हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण बोर्ड की रिपोर्ट तथा बोर्ड के रिपोर्ट का अनुलग्नक कार्पोरेट गवर्नेन्स और शेयर धारक की जानकारी इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के दिनांक के पश्चात, आशा है कि हमें उपलब्ध करा दी जायेगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बायानी प्रतीत होती है।

जब हम प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पढ़ते हैं, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड के रिपोर्ट के अनुलग्नक और कार्पोरेट गवर्नेन्स सहित अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बायानी

परिसम्पत्तियों के सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के रोकथाम तथा उनको पता लगाने के लिये, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी पर्याप्त लेखा रिकार्ड को रखती है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

**Information Other than the Financial
Statements and Auditor's Report Thereon**

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, and Corporate Governance, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

The Company is maintaining adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding the assets and for preventing and detecting frauds and other irregularities.

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित ए एस तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकपूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है, के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हों खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रचालन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

परिसम्पत्तियों के सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के रोकथाम तथा उनको पता लगाने के लिये, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी पर्याप्त लेखा रिकार्ड को रखती है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The Company is maintaining adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding the assets and for preventing and detecting frauds and other irregularities.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतरराष्ट्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to de-

sign audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियां विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपयों को उन्हें बताते हैं।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

अहंक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार

1. कम्पनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 174.89 लाख रुपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूब्रीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-2 “वस्तुसूचियाँ” के अनुसार है।

उपर्युक्त व्यवहार का घटत/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित संविधिक लेखा परीक्षकों का कत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Basis for Qualified Opinion

1. The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs.174.89 lakhs and the Management has not stated the inventories at

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

lower of cost and net realisable value but has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except platinum which constitutes a departure from applicable Ind AS-2 "Inventories".

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. 'परिसम्पत्ति में क्षति' के संबंध में, परिसम्पत्ति में क्षति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति का कबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये क्षति से हानि को परिसम्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. In respect of 'Impairment of Assets', impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूची में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.

कोरबा प्रभाग में वस्तुसूचि गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और मूल्य पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है। सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के अनुसार पुनरुज्जीवन कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य एककों के वस्तुसूची का निपटान कर दिया गया है।

Inventory godowns at the Korba Divn. remained sealed throughout the year and value taken as it was in previous year. Inventory of other Units was disposed off as a part of revival activities as approved by CCEA.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

4. तलचर एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया था और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1649.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1782.71 लाख रुपये)(निवल का मूल्य हास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8)। यह लागू लेखा मानक इण्ड ए एस 16 “सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण” से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

आगे, कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ जो कि बिक्री/निपटान के लिये रखी हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है-संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया है और यह इण्ड ए एस-105 का उल्लंघन है- “जो चालू परिसम्पत्ति नहीं है और बिक्री के लिए है और परिचालन बंद है”।

निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पुनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. The Company's fixed assets except land and plantation at Talcher have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1649.45 lakhs (Previous Year Rs. 1782.71 lakhs) (net of depreciation)

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard Ind AS 16 “Property, Plant & Equipment” which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value.

The Company has not classified fixed assets held for sale/disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) – Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets and this in violation of Ind AS-105 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” also.

The consequential impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है।

लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

5. During the year ended 31st March, 2016, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per

अधिकतर परिसम्पत्तियाँ उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये रखी हैं तथा अवशिष्ट मूल्य पर हैं। फिर भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, उपयोग हो रही परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास लगाया गया है।

Most of the assets are retired and held for disposal and kept at residual value. However, depreciation charged on the live assets wherever required.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

6. जैसा कि टिप्पणी (एफ)(3) में संदर्भित है, पी.डी.आई. एल. और आर.एफ.सी.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यो के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है।

पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

6. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F) (3).

The consequential impact of non-confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

7. ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अभिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2019 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

पी.डी.आई.एल. के साथ लेखों का मिलान किया जा रहा है।

Reconciliation of accounts with PDIL is under process.

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

7. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 6 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2019.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

अहंक (क्वालीफाइड) मत

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अहंक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड़ कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार मांगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2019 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 6 stated above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2019, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

मामले का जोर

जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट 9 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के संबंध में कहा गया है, हम वित्तीय विवरण के नोट एफ-10 की ओर ध्यान आकर्षित

नये बने संयुक्त उद्यमों में कम्पनी का केवल 11 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग है। अतः संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक गतिविधियों में कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

करना चाहते हैं जहाँ कि इण्ड ए एस-31 “संयुक्त उद्यमों में रूचि” में प्रावधान है जो कि कम्पनी द्वारा लिये गये कानूनी राय के आधार पर है कि इन कम्पनियों के साथ समझौते के खंडों के अनुसार यह कम्पनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कम्पनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये हैं और लेखा मानक के अनुसार, जैसा कि नोट एफ-9 में बताया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इस विषय पर हमारे मत में संशोधन नहीं हुआ है।

Emphasis of Matter

Attention is drawn to Note F-09 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note 10 in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures’, which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The Company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2019 and therefore have prepared its financial statements as per accounting standards as stated in the Note F-09.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के

The Company has only 11% shareholding in newly formed Joint Ventures and hence does not exercise any control over the economic activities of the Joint Venture Companies.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है कंपनी के बहियों और रिकार्ड के जाँच के आधार पर, जैसा कि हमें उचित लगा और हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और सह-निर्देश पर विचार किया है और हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक 'ग' में दे रहे हैं।

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

2. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we have considered the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India and give our report in the "Annexure C".

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

3. As required by Section 143 (3) of the Act, based on audit we report that:

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account.

यह धारा 143 (3) के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग की जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर ए.क्यू.-3(क) से झ (iii) तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are a reporting requirements for the auditors under section 143 (3) and therefore replies are not called for items at AQ (3) (a) to (i) (iii).

- घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 “कर्मचारी लाभ” में से बाहर होना निर्धारित है।
- d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS - 19 – “Employee Benefit”.
- ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाईड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
- च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कि ‘कोई निदेशक’ निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

- f. The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding 'whether any director is disqualified from being appointed as a director' is not applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015.
- छ. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित मत व्यक्त करती है।
- g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- ज. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा, यह कहना चाहते हैं कि यह कम्पनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि सभी निदेशक अतिरिक्त कार्यभार के साथ नामित निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) है और कम्पनी द्वारा उन्हें परिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।
- h). With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, it is stated that the same is not applicable to the Company as all the Directors are Nominee

Directors (Government Nominees) with Additional Charge and no remuneration is being paid to them by the Company.

- झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2019 तक का कर दिया है।
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2019;
 - ii. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
 - iii. There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

अनुलग्नक 'क'/ANNEXURE 'A'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. कंपनी की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में:

(क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।

1. In respect of the Company's Fixed Assets:

(a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/Divisions where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Divisions, fixed asset records have not been updated.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/Divisions.

(ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

(c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:

(क) तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

(a) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.

(ख) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्ल्यू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

(b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

2. वस्तुसूचियों के संबंध में:

इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

2. In respect of Inventory:

The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock-and-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

3. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 ('the Act'). Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(iii) of the Order.

4. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। कम्पनी ने मै0 रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है जो कि मै0 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मै0 इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और मै0 फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम है और अवसर लागत, उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति और कंपनी की संबंधित बुनियादी सुविधा सहित सुविधा क्षेत्र उपलब्ध कराने के बदले में उसे 144.49 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आवंटित किये गये हैं। कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 92.52 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त हुई है और विचाराधीन वर्ष में 23.27 करोड़ रुपये की

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

- राशि प्राप्त हुई है जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है।
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act. The Company has made investment in equity shares in M/s. Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd., which is joint venture of M/s. National Fertilizer Limited, M/s. Engineers India Limited and M/s. Fertilizer Corporation of India Limited, and has been allotted equity shares to the tune of Rs. 144.49 crorestowardsconsideration of granting concession to the facility area including opportunity cost, usable assets and related infrastructure of the Company. The Company has received equity share capital to the tune of Rs. 92.52 croresin the immediate preceding financial year and to the tune of Rs. 23.27 crores in the year under consideration, which is in compliance with the applicable provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.
5. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
5. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public under Section 73 to 76 or any other
- This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
- यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

**ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

relevant provisions of the Act and the rules framed there under. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(v) of the Order.

6. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

6. Since, all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of The Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

7. हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

- (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि

- (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः पैरा vii(क) से xvi पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रुपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखा बहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यहास जमा नहीं किया गया है।

मैट पर देय आयकर जो कंपनी द्वारा कानूनी राय के आधार पर, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया गया है।

7. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

- (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of service tax Act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be com-

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

piled by the Company of Service Tax/ GST, the amount and period of delay in certain cases could not be reported and (b) Income tax payable on MAT for financial year 2015-2016 of Rs. 42.58 lakhs which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.

Income tax payable on MAT which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion, in the immediate preceding financial year.

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2019 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2019 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:

8. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकार से डिबेन्चर धारकों को या ऋण या उधार से संबंधित पुनर्भुगतान में दोषी नहीं है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

8. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to its banks and financial institutions, loan or borrowings from government or any debentures outstanding during the year.
9. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण इन्सट्रूमेंट सहित) और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
9. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(ix) of the Order.
10. हमारे ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।
10. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
11. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान नहीं किया गया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
11. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has

not paid/provided any managerial remuneration hence, the paragraph 3(xi) of the order is not applicable to the Company.

12. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(xii) of the Order.
13. हमारे मत में तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इस प्रकार के लेन-देन का ब्यौरा, जैसा कि लागू लेखा मानक की माँग है, के अनुसार वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है।
13. In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable and the details have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Accounting Standards.
14. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरों का प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
14. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

placement of shares or fully or partially convertible debentures during the year and hence no reporting is required under paragraph 3(xiv) of the Order.

15. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के साथ भारत सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार नकदी रहित लेन-देन किया है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित है। कम्पनी का दावा है कि कथित लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः साधारण बैठक में सदस्यों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, during the year, the Company has entered into non-cash transaction with another public sector company referred to in section 192 of the Companies Act, 2013 as per prior approval of Government of India. The Company claims that the said transaction does not fall under section 192 of the Companies Act, 2013 and therefore prior approval of members in the general meeting is not necessary.

16. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी का रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 की धारा 45-आई ए के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

16. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (“कंपनी”) के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका इक्विटी में परिवर्तन पर विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है। (एतद द्वारा “वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित)

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त इण्ड ए एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुसार वांछित सूचना को उचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और आमतौर से भारत में स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धान्तों जिसमें भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) शामिल है और उसके लाभ को और उसके नकदी प्रवाह और वर्ष के लिये इक्विटी में परिवर्तन को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिये, के साथ पुष्टि में 31 मार्च 2019 को कंपनी सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

मत के लिये आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) (एस ए) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक हैं और हमने

AUDITORS' REPORT

Report on the Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited (“the Company”), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as “the financial statements”).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind-AS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (“the Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Indian Accounting Standards (“Ind-AS”), of the state of affairs(financial position) of the Company as at 31 March 2019 and its profit, and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (“SAs”). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“the ICAI”) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the

नैतिक जिम्मेदारियों और आई सी ए आई की आचार संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी को तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, कापोरेट गवर्नेन्स और शेयर धारक की जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्मिलित नहीं हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण बोर्ड की रिपोर्ट तथा बोर्ड के रिपोर्ट का अनुलग्नक कापोरेट गवर्नेन्स और शेयर धारक की जानकारी इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के दिनांक के पश्चात, आशा है कि हमें उपलब्ध करा दी जायेगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बायानी प्रतीत होती है।

जब हम प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पढ़ते हैं, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड के रिपोर्ट के अनुलग्नक और कार्पोरेट गवर्नेन्स सहित अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बायानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित ए एस तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, and Corporate Governance, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हो खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रलाचन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a

बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराष्ट्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियां विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण

material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial

अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपयों को उन्हें बताते हैं।

अहक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार

1. कम्पनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 174.89 लाख रुपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूब्रीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-2 “वस्तुसूचियाँ” के अनुसार है।

उपर्युक्त व्यवहार का घटत/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. ‘परिसम्पत्ति में क्षति’ के संबंध में, परिसम्पत्ति में क्षति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिशत का प्रावधान किया

statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Basis for Qualified Opinion

1. The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs.174.89 lakhs and the Management has not stated the inventories at lower of cost and net realisable value but has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except platinum which constitutes a departure from applicable Ind AS-2 “Inventories”.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. In respect of ‘Impairment of Assets’, impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving

गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति का कबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये क्षति से हानि को परिसम्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूची में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. तलचर एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया था और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1649.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1782.71 लाख रुपये)(निवल का मूल्य हास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8)। यह लागू लेखा मानक इण्ड ए एस

residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. The Company's fixed assets except land and plantation at Talcher have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1649.45 lakhs (Previous Year Rs. 1782.71 lakhs) (net of depreciation) had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard Ind AS 16 "Property, Plant

16 “सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण” से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये।

आगे, कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ जो कि बिक्री/निपटान के लिये रखी हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है-संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया है और यह इण्ड ए एस-105 का उल्लंघन है- “जो चालू परिसम्पत्ति नहीं है और बिक्री के लिए है और परिचालन बंद है”।

निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पूनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है।

लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

6. जैसा कि टिप्पणी (एफ)(3) में संदर्भित है, पी.डी.आई. एल. और आर.एफ.सी.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यो के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है।

& Equipment” which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value.

The Company has not classified fixed assets held for sale/disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) – Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets and this in violation of Ind AS-105 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” also.

The consequential impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.

5. During the year ended 31st March, 2016, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

6. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F) (3).

पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

- ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अभिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2019 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

अर्हक (क्वालीफाइड) मत

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अर्हक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड़ कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार माँगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2019 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

मामले का जोर

जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट 9 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के संबंध में कहा गया है, हम वित्तीय विवरण के नोट एफ-10 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जहाँ कि इण्ड ए एस-31 “संयुक्त उद्यमों में रूचि” में प्रावधान है जो कि कम्पनी द्वारा लिये गये कानूनी राय के आधार पर है कि इन कम्पनियों के साथ समझौते के खंडों के अनुसार यह कम्पनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कम्पनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये हैं और लेखा

The consequential impact of non-confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

- Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 6 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2019.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 6 stated above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2019, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Attention is drawn to Note F-09 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note 10 in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures’, which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The Company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2019 and therefore have

मानक के अनुसार, जैसा कि नोट एफ-9 में बताया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इस विषय पर हमारे मत में संशोधन नहीं हुआ है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है कंपनी के बहियों और रिकार्ड के जाँच के आधार पर, जैसा कि हमें उचित लगा और हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और सह-निर्देश पर विचार किया है और हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक 'ग' में दे रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

prepared its financial statements as per accounting standards as stated in the Note F-09.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we have considered the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India and give our report in the "Annexure C".

3. As required by Section 143 (3) of the Act, based on audit we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

- ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 “कर्मचारी लाभ” में से बाहर होना निर्धारित है।
- ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाईड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कि ‘कोई निदेशक’ निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- छ. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक ‘ख’ में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित मत व्यक्त करती है।
- c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account.
- d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS -19 – “Employee Benefit”.
- e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
- f. The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding ‘whether any director is disqualified from being appointed as a director’ is not applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015.
- g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B”. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company’s internal financial controls over financial reporting.

ज. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा, यह कहना चाहते हैं कि यह कम्पनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि सभी निदेशक अतिरिक्त कार्यभार के साथ नामित निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) हैं और कम्पनी द्वारा उन्हें परिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2019 तक का कर दिया है।
- कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।
- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

कृते मै० आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 001847-एन
ह०/-
(आर.के. तुली)
भागीदार
सदस्यता सं० : 081019
यूडीआईएन: 19081019AAAAAN4129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.09.2019

h). With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, it is stated that the same is not applicable to the Company as all the Directors are Nominee Directors (Government Nominees) with Additional Charge and no remuneration is being paid to them by the Company.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2019;
- The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
- There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For R.K. Tuli & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001847-N
Sd/-
(R.K. Tuli)
Partner
Membership No. 081019
UDIN : 19081019AAAAAN4129

Place : New Delhi
Dated : 02.09.2019

अनुलग्नक 'क'

Annexure 'A'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में:

1. In respect of the Company's fixed assets:

(क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।

(a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/ Divisions where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Divisions, fixed asset records have not been updated.

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/ Divisions.

(ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त

(c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company.

स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

(क) तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

(ख) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्ल्यू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

2. वस्तुसूचियों के संबंध में:

इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

4. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम

However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:

(a) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.

(b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

2. In respect of Inventory:

The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock-and-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

3. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 ('the Act'). Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(iii) of the Order.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given loans, made investments or

2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। कम्पनी ने मै0 रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है जो कि मै0 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मै0 इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और मै0 फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम है और अवसर लागत, उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति और कंपनी की संबंधित बुनियादी सुविधा सहित सुविधा क्षेत्र उपलब्ध कराने के बदले में उसे 144.49 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आवंटित किये गये हैं। कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 92.52 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त हुई है और विचाराधीन वर्ष में 23.27 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है।

given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act. The Company has made investment in equity shares in M/s. Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd., which is joint venture of M/s. National Fertilizer Limited, M/s. Engineers India Limited and M/s. Fertilizer Corporation of India Limited, and has been allotted equity shares to the tune of Rs. 144.49 crorestowardsconsideration of granting concession to the facility area including opportunity cost, usable assets and related infrastructure of the Company. The Company has received equity share capital to the tune of Rs. 92.52 croresin the immediate preceding financial year and to the tune of Rs. 23.27 crores in the year under consideration, which is in compliance with the applicable provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.

5. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

5. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public under Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(v) of the Order.

6. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

6. Since, all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of The Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

7. हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्चात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रुपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखा बहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यहास जमा नहीं किया गया है।

मैट पर देय आयकर जो कंपनी द्वारा कानूनी राय के आधार पर, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2019 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि,

7. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of service tax Act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service Tax/ GST, the amount and period of delay in certain cases could not be reported and (b) Income tax payable on MAT for financial year 2015-2016 of Rs. 42.58 lakhs which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.

Income tax payable on MAT which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion, in the immediate preceding financial year.

(b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable

राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2019 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:

सांविधिक का नाम Name of statutes	देयता का प्रकार Nature of due	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	अवधि Period	नियत दिनांक Due date	जमा करने का दिनांक Date of deposit	टिप्पणी Remarks
आयकर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	वर्ष 2017-18 के लिए आयकर तिमाही किस्त Income tax Quarterly Instalment for FY 2017-18	1306.31 1306.31	सितम्बर 2017 September, 2017	सितम्बर 15, 2017 Sept 15, 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.01 2.01	पुराना बकाया Old outstanding	उपलब्ध नहीं N.A	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षों में किया गया है। Provision of services tax made in earlier years.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.60 1.60	अगस्त 2015 Aug 2015	सितम्बर 2015 Sept 2015	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.

वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर (सिन्दरी)	1.39	सितम्बर	अक्टूबर 2015	अभी तक जमा नहीं किया है।	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।
Finance Act, 1994	Service Tax (Sindri)	1.39	Sept	Oct 2015	Not yet deposited.	Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर (सिन्दरी)	2.11	पुराना बकाया	कई तिथियाँ	अभी तक जमा नहीं किया है।	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षों में किया गया है।
Finance Act, 1994	Service Tax (Sindri)	2.11	Old outstanding	Various dates	Not yet deposited.	Provision of services tax made in earlier years.
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर (सिन्दरी)	2.63	वित्त वर्ष 2015-16	कई तिथियाँ	अभी तक जमा नहीं किया है।	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।
Finance Act, 1994	Service Tax (Sindri)	2.63	F.Y. 2015-2016	Various dates	Not yet deposited.	Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर (सिन्दरी)	1.09	वित्त वर्ष 2015-16	कई तिथियाँ	अभी तक जमा नहीं किया है।	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।
Finance Act, 1994	Service Tax (Sindri)	1.09	F.Y. 2015-2016	Various dates	Not yet deposited.	Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर (सिन्दरी)	3.16	वित्त वर्ष 2016-17	कई तिथियाँ	अभी तक जमा नहीं किया है।	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।
Finance Act, 1994	Service Tax (Sindri)	3.16	F.Y. 2016-2017	Various dates	Not yet deposited.	Service tax on accrual unpaid.
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.517	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया है।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.517	जुलाई 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया है।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	July-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.517	जुलाई 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	July-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.062	जुलाई 2017	उपलब्ध नहीं।	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर ब्याज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.062	July-2017	N.A	Not yet deposited.	Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.054	अगस्त 2017	उपलब्ध नहीं।	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर ब्याज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.054	Aug-2017	N.A	Not yet deposited.	Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी)	0.047	सितम्बर 2017	उपलब्ध नहीं।	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर ब्याज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Sindri)	0.047	Sep-2017	N.A	Not yet deposited.	Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर)	0.12	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.12	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर)	0.13	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर)	0.13	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर)	0.87	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	किराया पर जीएसटी
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.87	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	GST on Rental

आय कर अधिनियम	टीसीएस (गोरखपुर)	0.186	अप्रैल 2017	जुलाई 05, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	टीसीएस
Income Tax Act	TCS (Gorakhpur)	0.186	Apr-2017	05th July 2017	Not yet deposited	TCS
सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क (कोरबा)	5.09	1975-76	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Custom Act 1962	Custom duty (Korba)	5.09	1975-76	N.A.	Not yet deposited	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क (कोरबा)	580.00	1975-76	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Custom Act 1962	Custom duty (Korba)	580.00	1975-76	N.A.	Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा)	5.34	2015-16		अभी तक जमा नहीं किया	
Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	Property Tax (Korba)	5.34	2015-16		Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा)	5.34	2016-17		अभी तक जमा नहीं किया	
Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	Property Tax (Korba)	5.34	2016-17		Not yet deposited	
म०प्र० सरकार वन संवृद्धि प्रतिपूर्ति	प्रतिपूर्ति (कोरबा)	8.66	1975-76	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
M.P. govt. forest growth compensation	Compensation (Korba)	8.66	1975-76	N.A.	Not yet deposited	
सामान्य प्रशासन कोरबा	भूमि राजस्व	3.52	2002-03	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Local Authority Korba	Land Revenue	3.52	2002-03	N.A.	Not yet deposited	



वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा)	0.11	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Korba)	0.11	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा)	0.11	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Korba)	0.11	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा)	0.11	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Korba)	0.11	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
नोएडा प्रशासन	जुर्माना प्रभार	34.20	पुराना	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Noida Authority	Penal charges	34.20	Old	N.A.	Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन	जुर्माना प्रभार	21.19	पुराना	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Noida Authority	Penal charges	21.19	Old	N.A.	Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन	जुर्माना प्रभार	4.26	2015—16	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Noida Authority	Penal charges	4.26	2015-16	N.A.	Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन	जुर्माना प्रभार	4.26	2016—17	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Noida Authority	Penal charges	4.26	2016-17	N.A.	Not yet deposited	
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.68	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.68	July-2017	20th Aug 17	Not yet deposited	Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.68	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.68	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.69	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.69	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.17	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	राजस्व
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.17	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited	Revenue
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.18	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	राजस्व
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.18	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited	Revenue
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.)	0.18	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	राजस्व
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (H.O)	0.18	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited	Revenue
आय कर अधिनियम	आय कर	4.23	2016-17	उपलब्ध नहीं	अभी तक जमा नहीं किया	
Income Tax Act	Income Tax	4.23	2016-17	N.A	Not yet deposited	
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.26	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.26	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.27	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.27	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited	Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.27	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.27	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.012	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.012	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.013	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.013	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.013	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.013	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.042	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.042	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (Unregistered)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.042	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.042	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (Unregistered)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर)	0.042	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं)
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Talcher)	0.042	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST (Unregistered)

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम)	0.073	जुलाई 2017	अगस्त 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	July-2017	20th Aug 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम)	0.073	अगस्त 2017	सितम्बर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	Aug-2017	20th Sep 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम)	0.073	सितम्बर 2017	अक्टूबर 20, 2017	अभी तक जमा नहीं किया।	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज
Goods and Services Tax Act	Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	Sep-2017	20th Oct 2017	Not yet deposited.	Reverse Charge on GST

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट का कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया हो, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings :

सांविधिक का नाम	देयता का प्रकार	राशि (लाख रुपये)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है।	फोरम जहाँ विवाद लांबित है
Name of the Statute	Nature of dues	Amount (Rs. in Lakhs)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
आय कर अधिनियम 1961	आय कर की माँग	414657.92	निर्धारण वर्ष 2013-14	आईटीएटी, नई दिल्ली
Income Tax Act, 1961	Income Tax Demand	414657.92	A.Y. 2013-14	ITAT, New Delhi
आय कर अधिनियम 1961	विदेशी तकनीशियन पर आय कर की माँग	19.14	उपलब्ध नहीं	दिल्ली उच्च न्यायालय
Income Tax Act, 1961	Income Tax Demand on Foreign Technician	19.14	N.A.	Delhi High Court



आय कर अधिनियम 1961	आय कर की माँग	267.10	निर्धारण वर्ष 2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) 11, नई दिल्ली के निदेश पर निर्धारण अधिकारी
Income Tax Act, 1961	Income Tax demand	267.10	A.Y. 2014-15	Assessing Officer on direction of The Commissioner of Income Tax (Appeals)-11 New Delhi
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	164.53	उपलब्ध नहीं	उत्पाद शुल्क आयुक्त (पटना)
Excise Act, 1944	Excise Duty	164.53	N.A	Commissioner of Excise (Patna)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	107.70	2004-05	सीईएसटीएटी, कोलकता
Excise Act, 1944	Excise Duty	107.70	2004-05	CESTAT Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	208.13	2004	सीईएसटीएटी, कोलकता
Excise Act, 1944	Excise Duty	208.13	2004	CESTAT Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	25.64	उपलब्ध नहीं	उत्पाद शुल्क आयुक्त (रांची)
Excise Act, 1944	Excise Duty	25.64	N.A	Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	17.28	उपलब्ध नहीं	उत्पाद शुल्क आयुक्त (रांची)
Excise Act, 1944	Excise Duty	17.28	N.A	Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	24.00	2011	नया दावा
Excise Act, 1944	Excise Duty	24.00	2011	Fresh Claim
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	1.13	2011	नया दावा
Excise Act, 1944	Excise Duty	1.13	2011	Fresh Claim
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर (गोरखपुर)	0.41	1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
Sales Tax Act	Sales Tax (Gorakhpur)	0.41	1979-80	High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर (गोरखपुर)	0.32	1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
Sales Tax Act	Sales Tax (Gorakhpur)	0.32	1981-82	High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर (विपणन)	24.89	उपलब्ध नहीं	बिक्री कर के सहायक आयुक्त, पटना
Sales Tax Act	Sales Tax (Marketing)	24.89	N.A	Asstt. Comm. of Sales Tax, Patna

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. Of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1987-88 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	सीसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST(Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने पर उप आयुक्त (बिक्री कर) के दावे Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीसीटी, पटना CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talcher)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astd. Com. of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talcher)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astd. Com. of Sales Tax Cuttack, Odisha
नगर निगम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	47.74 47.74	उपलब्ध नहीं N.A	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
नगर निगम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	सामान्य प्रशासन Local Authority

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

- | | |
|--|---|
| <p>8. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकार से डिबेन्चर धारकों को या ऋण या उधार से संबंधित पुनर्भुगतान में दोषी नहीं है।</p> | <p>8. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to its banks and financial institutions, loan or borrowings from government or any debentures outstanding during the year.</p> |
| <p>9. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण इन्सट्रूमेंट सहित) और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>9. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(ix) of the Order.</p> |
| <p>10. हमारे ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।</p> | <p>10. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.</p> |
| <p>11. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान नहीं किया गया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।</p> | <p>11. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not paid/provided any managerial remuneration hence, the paragraph 3(xi) of the order is not applicable to the Company.</p> |
| <p>12. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(xii) of the Order.</p> |
| <p>13. हमारे मत में तथा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इस प्रकार के लेन-देन का ब्यौरा, जैसा कि लागू लेखा मानक की माँग है, के अनुसार वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है।</p> | <p>13. In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable and the details have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Accounting Standards.</p> |
| <p>14. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर,</p> | <p>14. According to the information and explanations given to us and based on our examination of</p> |

कम्पनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरों का प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially convertible debentures during the year and hence no reporting is required under paragraph 3(xiv) of the Order.

15. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के साथ भारत सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार नकदी रहित लेन-देन किया है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित है। कम्पनी का दावा है कि कथित लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः साधारण बैठक में सदस्यों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, during the year, the Company has entered into non-cash transaction with another public sector company referred to in section 192 of the Companies Act, 2013 as per prior approval of Government of India. The Company claims that the said transaction does not fall under section 192 of the Companies Act, 2013 and therefore prior approval of members in the general meeting is not necessary.

16. हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी का रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 की धारा 45-आई ए के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

16. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

कृते मै० आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 001847-एन
ह०/-
(आर.के. तुली)
भागीदार
सदस्यता सं : 081019
यूडीआईएन: 19081019AAAAAN4129

For R.K. Tuli & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001847-N
Sd/-
(R.K. Tuli)
Partner
Membership No. 081019
UDIN : 19081019AAAAAN4129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.09.2019

Place : New Delhi
Dated : 02.09.2019

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) ("अधिनियम") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reportings under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

मै0 दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को पैराग्राफ 2 (एफ) के भाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited of even date.

हमने, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च 2019 तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है।

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कम्पनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी की नीतियों के साथ लगाव, उसके परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करना, गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and

पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारीयों को तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है। इन मानकों और मार्गदर्शिन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आडिट करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और क्या इस प्रकार के नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लेखा परीक्षा प्रमाण को प्राप्त करना वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रचालन प्रभावशीलता अंतर्निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता, थोड़ी सी भी मौजूद कमजोरी के जोखिम का आकलन तथा परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के थोड़े से भी गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a

पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये एक आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रवृत्तियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित है और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड तैयार किया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, उचित विश्वसनीयता को बनाना है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन भार (ओवरराईड) की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखा धड़ी के कारण छोटी सी भी गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को दर्शाना इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री विगड़ सकती है।

basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

मत

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है जो कि इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित है।

कृते मै० आर.के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 001847-एन
ह०/-
(आर.के. तुली)
भागीदार
सदस्यता सं : 081019
यूडीआईएन: 19081019AAAAAN4129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.09.2019

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For R.K. Tuli & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001847-N
Sd/-
(R.K. Tuli)
Partner
Membership No. 081019
UDIN : 19081019AAAAAN4129

Place : New Delhi
Dated : 02.09.2019

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देशों का उत्तर।

Replies to the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 क्या कम्पनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन करने के लिये सिस्टम उपलब्ध है? यदि हाँ, तो लेखांकन लेन देन को प्रोसेस करने के लिये आई टी सिस्टम के बाहर निहित वित्तीय लागत के साथ लेखों की विश्वसनीयता को बनाये रखने में जो निहित है, यदि हों, तो बतायें।

केन्द्रीय कार्यालय/सर्किल कार्यालय में टैली (ईआरपी 9) के द्वारा लेखों को बनाया जाता है जबकि सिन्दरी एकक में लेखों को डी-बेस में बनाया जाता है। बाकी एककों में लेखों को एक्सल स्प्रेडशीट (आफिस) में बनाया जाता है।

समेकित करने से पहले इन्हें उसी प्रकार जाँचा गया है और जहाँ तक लेखांकन की विश्वसनीयता का संबंध है, ये सही पाये गये हैं।

Q.1 Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

The books of accounts at Head Office/Circle Office are maintained in Tally (ERP 9) whereas, the books are maintained at Sindri Unit in D-Base. The remaining units are maintaining its books of account in Excel Spreadsheets (Office).

The same were checked on same basis before consolidation and were found to be in order vis a vis integrity of accounts is concerned.

प्र.2 ऋणदाता द्वारा दिये गये ऋण को कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण क्या किसी वर्तमान ऋण को फिर से पुनर्स्थापित किया गया है या डेब्ट/ऋण/ब्याज आदि को माफ/समाप्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो निहित वित्तीय लागत बतायें।

विचारणीय वर्ष के दौरान इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

Q.2 Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

No such transaction has occurred in the year under consideration.

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.3 विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिये केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य धन को उसके नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से लेखों में लिया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामले को सूचीबद्ध करें।

विचारणीय वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र या राज्य सरकार से कोई धन प्राप्त नहीं किया है।

Q.3 Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.

During the year under consideration, the Company has not received any funds from Central or State Governments.

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, कि भूमि का कितना क्षेत्र अतिक्रमण में है और सारांश में बतायें कि कंपनी ने इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि में अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

कंपनी ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी है और पीपी एक्ट के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.

There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6,653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However, the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed.

The Company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 02 सितम्बर 2019 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी मेने सामने नहीं आई है जहाँ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी की जाये या अनुपूरक लगाया जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/-

(मौसुमी रे भट्टाचार्या)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की महा निदेशक
तथा आडिट बोर्ड-II की पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03 अक्टूबर, 2019

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2019.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 Act is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 2nd September 2019.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2019. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Mausumi Ray Bhattacharya)
Director General of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Place : Kolkata
Dated : 03 October, 2019

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2019 को)

BALANCE SHEET

(As at 31.03.2019)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
परिसम्पत्तियाँ				
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं				
सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण				
— चालू निवेश नहीं हैं				
— दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम				
अन्य जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं				
कुल जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं				
चालू परिसम्पत्तियाँ				
वस्तु सूचियाँ				
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ				
— ट्रेड एवं अन्य प्राप्त होने योग्य				
— नगद एवं नगद के बराबर				
— लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम				
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
बिक्री के लिये वर्गीकृत किये गये जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं				
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ				
कुल परिसम्पत्तियाँ				
ASSETS				
Non-current Assets				
Property, Plant and equipment	1	1,668.30	2,514.78	2,615.36
- Non-Current investments	2	11,581.86	9,254.85	3.22
- Long-term loans and advances	3	759.92	644.68	1,176.63
Other non-current assets	4	229.60	284.76	337.76
Total non-current assets		14,239.68	12,699.07	4,132.97
Current Assets				
Inventories	5	174.89	879.22	879.22
Financial Assets				
- Trade and other receivables	6	78.96	2.69	2.98
- Cash and cash equivalents	7	40,854.15	35,624.16	31,618.00
- Short term loans and advances	8	3,557.10	5,287.05	16.41
Other current assets	9	1,037.40	821.87	804.52
		45,702.50	42,614.99	33,321.13
Non-current assets classified as held for sale	10	107.62	3,044.23	3,126.75
Total Current Assets		45,810.12	45,659.22	36,447.88
Total Assets		60,049.80	58,358.29	40,580.85

(जारी/Continued)

तुलन पत्र (31 मार्च, 2019 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2019) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
इक्विटी एवं देयताएं	EQUITY AND LIABILITIES				
इक्विटी	Equity				
इक्विटी शेयर पूंजी	Equity Share capital	11	75,092.39	75,092.39	75,092.39
अन्य इक्विटी	Other Equity				
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	12	(22,230.75)	(37,750.24)	(48,974.88)
कुल इक्विटी	Total Equity		52,861.64	37,342.15	26,117.51
देयताएं	LIABILITIES				
देयताएं जो चालू नहीं हैं	Non-current Liabilities				
वित्तीय देयताएं	Financial Liabilities		-	-	-
— ट्रेड एवं अन्य देय	- Trade and other payables	13	552.18	1,084.36	1,084.36
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long term Provisions	14	134.37	1,192.22	1,189.96
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	Deferred tax Liabilities (Net)		-	-	-
अन्य देयताएं जो चालू नहीं हैं	Other non-current Liabilities	15	4,124.13	4,901.98	4,854.33
कुल देयताएं जो चालू नहीं हैं	Total non-current Liabilities		4,810.68	7,178.56	7,128.65
चालू देयताएं	Current Liabilities				
वित्तीय देयताएं	Financial Liabilities				
—ट्रेड एवं अन्य देय	- Trade and other payables	16	8.19	5,868.33	5,878.58
अन्य चालू देयताएं	Other current Liabilities	17	150.15	3,971.45	136.11
लघु अवधि प्रावधान	Short-term Provisions	18	2,219.14	3,997.80	1,320.00
कुल चालू देयताएं	Total Current Liabilities		2,377.48	13,837.58	7,334.69
कुल देयताएं	Total Liabilities		7,188.16	21,016.14	14,463.34
कुल इक्विटी एवं देयताएं	Total Equity and Liabilities		60,049.80	58,358.29	40,580.85

(जारी/Continued)

तुलन पत्र (31 मार्च, 2019 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2019) (Continued)

निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ।

Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

ह०/- Sd/-
(अनिल कुमार वी. पाटिल)/(Anilkumar V. Patil)
निदेशक/Director
डिन/DIN 07039255

ह०/- Sd/-
(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
डिन/DIN 07965269

ह०/- Sd/-
(धर्मपाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/Chairman & Managing Director
डिन/DIN 02344549

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. आर. के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. R.K. Tuli & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-01847एन
Firm Registration No.001847N

ह०/- Sd/-
(आर. के. तुली) (R.K. Tuli)
भागीदार/Partner

एम. संख्या/M.No.081019

यूडीआईएन/UDIN : 19081019AAAAAN4129

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 2nd September, 2019

लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2019)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31 मार्च 2019 को For the year ended 31 March 2019	31 मार्च 2018 को For the year ended 31 March 2018
अन्य आय	Other Income	19	20,568.96	2,983.47
कुल राजस्व	Total Revenue		20,568.96	2,983.47
व्यय	Expenses			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	20	41.45	55.45
वित्तीय लागत	Finance cost	21	1.69	198.10
मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortisation expenses	22	8.61	12.04
अन्य व्यय	Other Expenses	23	2,461.93	2,640.13
कुल व्यय	Total Expenses		2,513.68	2,905.72
कर एवं विशिष्ट मदों से पहले लाभ/हानि	Profit/ (loss) before exceptional items and tax		18,055.28	77.75
विशिष्ट मद	Exceptional items		(2,870.75)	14,449.27
कर से पहले लाभ/(हानि)	Profit/ (loss) before tax		15,184.53	14,527.02
असाधारण मद	Extra Ordinary Items		3,131.75	-
कर से पहले लाभ	Profit before tax		18,316.28	14,527.02
कर पर व्यय	Tax Expenses			
वर्तमान कर-स्वयं निर्धारण देय	Current Tax - Self Assessment Payable		1,985.10	3,131.75
पिछले वर्ष कर	Earlier Year Tax		(146.60)	(0.12)
प्रचालन जारी रखने के अवसर का लाभ/(हानि)	Profit/ (loss) for the period from continuing operations		16,477.78	11,395.39
अन्य वृहत आय	Other Comprehensive Income		-	-
मदें जो कि लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	Items that will not be reclassified to profit & loss		-	-

(जारी/Continued)

लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए) (जारी)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2019) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2019 को For the year ended 31 March 2019	31 मार्च 2018 को For the year ended 31 March 2018
निश्चित लाभप्रद योजनाओं पर पुनर्परिकल्पित हानि		-	-
आय कर का प्रभाव		-	-
अवधि के लिये कुल वृहत आय		-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रचालन जारी रखने के लिये)	24		
क) मूल		219.43	151.75
ख) द्रवीय		219.43	151.75
निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ	25		
	Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes		

ह/-	Sd/-	ह/-	Sd/-	ह/-	Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)		(अनिल कुमार वी. पाटिल)/(Anilkumar V. Patil)		(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)	
सलाहकार/Advisor		निदेशक/Director		निदेशक (वित्त)/Director (Finance)	
		डिन/DIN 07039255		डिन/DIN 07965269	

ह/- Sd/-
(धर्मपाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/Chairman & Managing Director
डिन/DIN 02344549

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. आर. के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. R.K. Tuli & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-01847एन
Firm Registration No.001847N
ह/- Sd/-
(आर. के. तुली) (R.K. Tuli)
भागीदार/Partner

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 2nd September, 2019

एम. संख्या/M.No.081019
यूडीआईएन/UDIN : 19081019AAAAAN4129

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

पट्टे पर भूमि	स्वामित्व पर भूमि	सड़कें एवं पुलिया	भवन	जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी	विविध उपकरण	फर्नीचर जुड़ाना एवं कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर)	विद्युत उपकरण टाउनशिप	योग
Lease hold Land	Free hold Land	Roads & Culverts	Buildings	Water System, Sewerage and Drainage	Misc. Equipment	Furniture Fixture and Office Appliances	Plant & Machinery (COM)	Elec. Inst. Township	Total
200.02	289.89	269.14	4740.28	443.23	0.91	3.66 0.25	8.56 2.23	13.17	5968.86 2.48
200.02	289.89	269.14	4740.28	443.23	0.91	3.91 2.27	10.79 2.93	13.17	5971.34 5.20
-18.65	18.65								
181.37	308.54	269.14	4740.28	443.23	0.91	6.18	13.72 4.29	13.17	5976.54 (939.47)
181.37	308.54	268.21	3924.69	320.28	0.91	6.18	18.01	13.17	5041.36
66.88	0	262.10	2466.41	433.85	0.9	1.75	5.29	13.17	3250.35
2.09	0	0	6.49	0	0	0.25	2.28	0	11.11
0			(92.97)	(1.55)					(94.52)
0									
68.97	0	262.10	2565.87	435.40	0.90	2.00	7.57	13.17	3355.98
1.75	0	0	6.45	0.01	0	0.7	2.52	0	11.43
0			(92.79)	(1.56)					-94.35
0									
0									
0									
70.72	0	262.10	2665.11	436.97	0.90	2.70	10.09	13.17	3461.76
1.75			4.56			0.55	1.75		8.61
			57.09						57.09

(जारी/Continued)

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)										(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
निपटान / समायोजन		पट्टे पर भूमि	स्वामित्व पर भूमि	सड़के एवं पुलिया	भवन	जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी	विविध उपकरण	फर्नीचर जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण	संग्रह एवं मशीनरी (कम्प्यूटर)	विद्युत उपकरण टाउनशिप	योग
विफ्री के लिये रखी परिसम्पत्तियों का संचित मूल्यहास साधारण आरक्षण को अंतरित		Lease hold Land	Free hold Land	Roads & Culverts	Buildings	Water System, Sewerage and Drainage	Misc. Equipment	Furniture and Office Appliances	Plant & Machinery (COM)	Elec. Instt. Township	Total
Disposal/ Adjustments Accumulated Dep. on assets held for sale Transfer to General reserve				0.93	36.69	116.78					154.40
31 मार्च 2019 को	At 31 March, 2019	72.47	0	261.17	2690.07	320.19	0.90	3.25	11.84	13.17	3373.06
वाहित निवल मूल्य	Net Carrying Value										
31 मार्च 2019 को	At March 31, 2019	108.90	308.54	7.04	1234.62	0.09	0.01	2.93	6.17	0	1668.30
31 मार्च 2018 को	At March 31, 2018	110.65	308.54	7.04	2075.17	6.26	0.01	3.48	3.63	0	2514.78
31 मार्च 2017 को	At March 31, 2017	131.05	289.89	7.04	2174.41	7.83	0.01	1.91	3.22	0	2615.36
1 अप्रैल 2016 को	At 1 April 2016	133.14	289.89	7.04	2273.87	9.38	0.01	1.91	3.27	0	2718.51

अनुसूची-2 जो चालू निवेश नहीं हैं

NOTE-2 NON CURRENT INVESTMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
दीर्घ अवधि निवेश इक्विटी में निवेश	Long term Investment Investment in Equity Instruments			
नान-ट्रेड निवेश (जब तक कहा न गया हो अन्यथा अनिवेदित लागत पर)	Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted)			
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि० में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	0.10	0.10	0.10
घटाएं: दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	Less: Provision for diminution in value of long term investment	(0.05) 0.05	(0.05) 0.05	(0.05) 0.05
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Trade Investments in Joint Venture Companies (At cost-unquoted)			
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लि.) में	At Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd)	0.50	0.50	0.50
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में प्रत्येक 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 16,667 इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares 16,667 shares @ Rs.10 each at Hindustan Urvarak and Rashyan Ltd.	1.67	1.67	1.67
पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 11,57,96,426 @ रु. 10/- के प्रत्येक (पिछले वर्ष 9,25,26,291 @ रु. 10/- के प्रत्येक) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में	Fully paid up equity shares 11,57,96,426 @ Rs.10 each (Previous year 9,25,26,291 @ Rs.10 each) at Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited.	11,579.64	9,252.63	1.00
		11,581.86	9,254.85	3.22
अनिवेदित निवेश का कुल मूल्य	Aggregate value of unquoted Investment	11,581.86	9,254.85	3.22
दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	Aggregation of diminution in value of long term investment	0.05	0.05	0.05

अनुसूची-3 दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम

NOTE-3 LONG TERM LOANS & ADVANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
जब तक कहा न जाय असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured Considered Good unless otherwise stated			
क) ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & Advances			
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	0.31	0.31	0.31
ख) अग्रिम	(b) Advances			
पूर्तिकर्ता (संदिग्ध समझे गये)	Suppliers (considered doubtful)	338.68	223.49	223.49
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(338.68)	(223.49)	(223.49)
पूर्तिकर्ता (खरे समझे गये)	Suppliers (considered good)	-	123.52	123.47
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.75	0.60	0.70
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	56.79	56.79	56.79
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(56.79)	(56.79)	(56.79)
अन्य (खरे समझे गये)	Others (considered good)	17.39	9.35	9.39
प्रतिभूति जमा एनपीडीसीएल	Security Deposit NPDCL	-	6.76	6.76
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	113.82	113.82	641.45
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (संदिग्ध समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered doubtful)	0.24	0.24	0.24
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful deposits	(0.24)	(0.24)	(0.24)
आय कर एवं टीडीएस (प्रावधान का निवल)	Income Tax & TDS (Net of Provision)	627.65	390.32	394.55
		759.92	644.68	1,176.63

अनुसूची-4

अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-4

OTHER NON CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
मियादी जमा खाता (सुख सुविधा कोश)	Fixed deposit Accounts (Amenities Fund)	6.79	5.60	5.60
चालू खाता-II सुख सुविधा कोश	Current Account II (Amenities Fund)	5.41	5.42	5.42
जमा उत्पादशुल्क विभाग के पास गिरवी	Deposit with (Pledged with Excise Deptt)	38.14	38.14	38.14
बकाया किराया-दुकानदार/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (considered doubtful)	853.37	882.35	825.09
घटाएं : संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(853.37)	(882.35)	(825.09)
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others(considered doubtful)	79.44	79.44	79.44
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(79.44)	(79.44)	(79.44)
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	55.01	51.40	54.25
बकाया किराया-दुकानदार/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (Considered Good)	96.32	154.55	195.21
घटाएं: संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful	-	-	-
किराया/पानी एवं विद्युत प्रभार-पी डी आई एल	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	26.52	27.40	37.37
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	0.79	1.63	1.15
प्राप्त होने योग्य राशि (एन एफ एल)	Amount receivable (NFL)	0.62	0.62	0.62
		229.60	284.76	337.76

**अनुसूची-5
वस्तु सूचियाँ**

**NOTE-5
INVENTORIES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है) (As verified and certified by Management)				
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाए: अप्रचलन के लिये प्रावधान	a. Raw Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	- - -	131.21 (98.40) 32.81	131.21 (98.40) 32.81
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाए: अप्रचलन के लिये प्रावधान	b. Packing Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	0.78 (0.78) -	33.59 (33.59) -	33.59 (33.59) -
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) मार्गस्थ सामग्री सामग्री निरीक्षण में प्लांट में अप्रयुक्त स्टोर्स (प्लेटिनम का स्टॉक) घटाए: अप्रचलन के लिए प्रावधान	c. Stores & Spares (valued at Cost) Goods in transit Goods under inspection Stores unconsumed with Plant (stock of Platinum) Less- Provision for obsolescence	2.12 - - 174.79 (2.02) 174.89	2,927.10 45.95 0.27 - (2,126.91) 846.41	2,927.10 45.95 0.27 - (2,126.91) 846.41
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाए: अप्रचलन के लिए प्रावधान	Scrap (valued at estimated realisable value) Less- Provision for obsolescence	- - 174.89	91.30 (91.30) 879.22	91.30 (91.30) 879.22

अनुसूची-6 प्राप्त होने योग्य ट्रेड एवं अन्य

NOTE-6 TRADE AND OTHER RECEIVABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्त होने योग्य हैं	Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment			
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	2.58	2.69	2.98
असुरक्षित संदिग्ध समझे गये	Unsecured considered doubtful	1,825.57	1,864.84	1,864.84
खरीद आगम (जीएसटी) प्राप्त होने योग्य	Input (GST) Purchase Receivable	73.29	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	(1,825.57)	(1,864.84)	(1,864.84)
अन्य प्राप्त होने योग्य	Other receivable	3.09	-	-
		<u>78.96</u>	<u>2.69</u>	<u>2.98</u>

अनुसूची-7

नकद एवं नकद के बराबर

NOTE-7

CASH AND CASH EQUIVALENTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
बैंक में शेष	Balance with banks in	574.13	680.93	136.41
चालू खाता में	Current accounts			
फ्लैक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	1,127.14	1,076.10	1,035.10
अन्य बैंक शेष	Other Bank Balances			
मियादी जमा खाता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम असली परिपक्वता सहित	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	39,072.56	32,710.64	30,375.04
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित और 12 माह से कम के बकाया परिपक्वता के साथ	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months but remaining maturity less than 12 months	-	1,079.00	-
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित (सुख-सुविधा राशि)	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund)	76.08	72.22	68.28
चैक/डाफ्ट्र हाथ में	Cheques / drafts in hand	-	0.46	-
नकद हाथ में	Cash in hand	4.24	4.81	3.17
		40,854.15	35,624.16	31,618.00



अनुसूची-8
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम

NOTE-8
SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
जब तक कहा न जाये असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good unless otherwise stated			
क. अग्रिम	(a) Advances			
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	1.45	1.22	1.62
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	6.89	4.86	8.17
अन्य (खरे समझे गये) आयकर को दिया गया अग्रिम	Others (considered good) advance paid to income tax	3,487.89	-	-
अन्य प्राप्त होने योग्य (संदिग्ध समझे गये)	Other Receivable (Considered doubtful)	-	-	99.00
घटाएं :प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-	-	-99.00
माल एवं सेवा कर प्राधिकरण के पास बकाया	Balance with Goods and Service Tax Authorities	31.07	52.83	-
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	5.99	6.69	6.62
सरकारी प्राधिकरणों/अन्यों के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	23.81	23.81	-
आर एफ सी एल से प्राप्त होने योग्य	Receivable from RFCL	-	5,197.64	-
		3,557.10	5,287.05	16.41

अनुसूची-9
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

NOTE-9
OTHER CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
बकाया किराया—दुकानदारों/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(considered doubtful)	5.49	5.49	5.49
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(5.49)	(5.49)	(5.49)
पट्टा किराया—भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	1.06	1.11	1.95
बकाया किराया दुकानदारों/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि से (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(Considered Good)	28.17	20.98	11.75
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent Railway siding	78.28	23.21	23.16
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	921.14	743.19	715.92
पी एफ ट्रस्ट से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from P.F. Trust	5.94	18.08	5.94
प्राप्त होने योग्य राशि (ए सी सी)	Amount receivable (ACC)	2.81	15.30	20.77
आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from supplier	-	-	25.03
		1,037.40	821.87	804.52

NOTE-10

TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)												
	01.04.2018 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2018	वृद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2019 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2019	01.04.2018 को संचित मूल्य Accumulated depreciation as on 01.04.2018	मूल्यह्रास Depre- ciation	पुनर्मूल्यीकरण पर मूल्यह्रास on Revaluation	हटाने पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation on Deletions	जनरल रिजर्व को स्थानांतरण Transfer to General Reserve	01.04.2019 को संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as on 01.04.2019	31.03.2019 को संचित मूल्य Net value as on 31.03.2019	01.04.2018 को संचित मूल्य Net value as on 01.04.2018
सड़कें एवं पुलियां-वित्त वर्ष												
Roads & Culverts - Fy.	197.34		93.12	104.22	187.48			86.17		101.31	2.91	9.86
भवन-वित्त वर्ष												
Buildings - Fy	2,098.83		1,815.63	283.20	1,993.39			1,722.60		270.79	12.41	105.44
रेलवे साइडिंग												
Railway Sidings	2,480.85		2,027.14	453.71	2,356.81			1,925.79		431.02	22.69	124.04
संयंत्र एवं उपकरण												
Plant And Equipment	44,357.96		44,120.52	237.44	42,131.94	1.53	0.47	41,908.37		225.57	11.87	2,226.02
गैस टर्बाइन												
Gas Turbine	2,235.57		2,235.57	-	1,754.81			1,754.81		-	-	480.76
जल प्रणाली सीवर एवं निकासी												
Water System, Sewarage And Drainage	1,739.21		669.88	1,069.33	1,663.71			647.85		1,015.86	53.47	75.50
विविध उपकरण												
Misc. Equipments	250.99		201.66	49.33	240.77			191.58		49.19	0.14	10.22
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण												
Furniture, Fixture And Office Appliances	221.50		180.16	41.34	210.45			171.99		38.46	2.88	11.05
परिवहन गाड़ियां												
Transport Vehicles	29.99		1.60	28.39	28.65			1.51		27.14	1.25	1.34
योग												
Total	53,612.24	-	51,345.28	2,266.96	50,568.01	1.53	0.47	48,410.67	-	2,159.34	107.62	3,044.23
(जारी/Continued)												

(जारी/Continued)

अनुसूची-10 परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं (जारी)

NOTE-10 TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)										
01.04.2017 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2017	वृद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2018 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2018	01.04.2017 को संचित मूल्यहास Accumulated depreciation as on 01.04.2017	मूल्यहास Depre- ciation on	पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यहास Depreciation on Revaluation	हटाने पर संचित मूल्यहास Accumulated depreciation on Deletions	जनरल रिजर्व को स्थानांतरण Transfer to General Reserve	01.04.2018 को संचित मूल्यहास Accumulated depreciation as on 01.04.2018	01.04.2017 को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2017
सड़कें एवं पुलियाँ—वित्त वर्ष										
Roads & Culverts - Fy.	197.34	-	197.34	187.48	-	-	-	-	187.48	9.86
भवन—वित्त वर्ष										
Buildings - Fy	2,098.83	-	2,098.83	1,992.98	0.01	-	0.40	0.40	1,993.39	105.85
रेलवे साइडिंग	2,480.85	-	2,480.85	2,356.81	-	-	-	-	2,356.81	124.04
Railway Sidings	44,468.00	110.04	44,357.96	42,203.79	-	-	104.53	32.68	42,131.94	2,264.21
संयंत्र एवं उपकरण										
Plant And Equipment	2,235.57	-	2,235.57	1,711.49	-	-	43.32	43.32	1,754.81	524.08
गैस टर्बाइन										
Gas Turbine	1,739.21	-	1,739.21	1,663.11	0.60	-	-	-	1,663.71	76.10
जल प्रणाली सीवर एवं निकासी										
Water System, Sewerage And Drainage	250.99	-	250.99	240.77	-	-	-	-	240.77	10.22
विविध उपकरण										
Misc. Equipments	221.50	-	221.50	210.45	-	-	-	-	210.45	11.05
कार्यालय उपकरण										
Furniture, Fixture And Office Appliances	29.99	-	29.99	28.65	-	-	-	-	28.65	1.34
परिवहन गाड़ियाँ										
Transport Vehicles	53,722.28	-	53,612.24	50,595.53	0.61	-	104.53	76.40	50,568.01	3,126.75
योग										
Total	53,722.28	-	53,612.24	50,595.53	0.61	-	104.53	76.40	50,568.01	3,126.75
										(जारी/Continued)

(जारी/Continued)

अनुसूची-10

परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं (जारी)

NOTE-10

TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)											
01.04.2016 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2016	वृद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2017 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2017	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as on 01.04.2016	मूल्यह्रास Depre- ciation	पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यह्रास Depreciation on Revaluation	हटाने पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation on Deletions	जनरल रिजर्व को स्थानांतरण Transfer to General Reserve	01.04.2017 को संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as on 01.04.2017	31.03.2017 को संचित मूल्य Net value as on 31.03.2017	01.04.2016 को संचित मूल्य Net value as on 01.04.2016
सड़कें एवं पुलियाँ—वित्त वर्ष											
Roads & Culverts - Fy.	197.34	-	197.34	187.48	-	-	-	-	187.48	9.86	9.86
भवन—वित्त वर्ष											
Buildings - Fy	2,503.28	404.45	2,098.83	2,375.06	-	-	382.48	0.40	1,992.98	105.85	128.22
रेलवे साइडिंग	2,480.85	-	2,480.85	2,356.81	-	-	-	-	2,356.81	124.04	124.04
Railway Sidings											
संयंत्र एवं उपकरण											
Plant And Equipment	50,799.51	6,331.51	44,468.00	48,179.79	-	-	6,014.93	38.93	42,203.79	2,264.21	2,619.72
गैस टर्बाइन											
Gas Turbine	2,235.57	-	2,235.57	1,668.16	-	-	-	43.33	1,711.49	524.08	567.41
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी											
Water System, Sewerage and Drainage	1,816.69	77.48	1,739.21	1,736.12	0.60	-	73.61	-	1,663.11	76.10	80.57
विविध उपकरण											
Misc. Equipements	352.57	101.58	250.99	334.94			94.17	-	240.77	10.22	17.63
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण											
Furniture, Fixture and Office Appliances	278.50	57.00	221.50	264.62			54.17	-	210.45	11.05	13.88
परिवहन गाड़ियाँ											
Transport Vehicles	38.25	8.26	29.99	36.32			7.67	-	28.65	1.34	1.93
योग											
Total	60,702.56	-	6,980.28	53,722.28	57,139.30	0.60	6,627.03	82.66	50,595.53	3,126.75	3,563.26

अनुसूची-11 इक्विटी शेयर पूंजी

NOTE-11 EQUITY SHARE CAPITAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
प्राधिकृत	Authorised	80,000.00	80,000.00	80,000.00
जारी किये गये, अभिदत्त एवं प्रदत्त	Issued, Subscribed and Paid Up			
वर्ष के प्रारम्भ में	As at the beginning of the year	75,092.39	75,092.39	75,092.39
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किये गये	Add: Issued during the year	-	-	-
वर्ष के अंत में	As at the end of the year	75,092.39	75,092.39	75,092.39
		<u>75,092.39</u>	<u>75,092.39</u>	<u>75,092.39</u>

टिप्पणियाँ / Notes:

	31 मार्च, 2019 को As at 31st March 2019
अनुबंध के अनुसार पिछले पांच वर्षों में बिना नकद प्राप्त किये पूर्णतः प्रदत्त आबंटित शेयरों की कुल संख्या	शून्य
The Aggregate number of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash in the last five years	Nil
कम्पनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा बिना भुगतान किये इक्विटी शेयर	शून्य
Equity Shares calls unpaid by Directors and Officers of the Company.	Nil
अंतिम धारक कम्पनी/धारक कम्पनी और उसके सहायक/सहयोगियों द्वारा धारित शेयर	शून्य
Shares held by ultimate holding company/ holding company and their subsidiaries/ associates	Nil

शेयरधारक जो कम्पनी के 5 प्रतिशत शेयर से अधिक के धारक हैं।

Shareholders holding more than 5% shares of the Company.

	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019		31 मार्च 2018 को As at 31st March 2018		31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017
शेयरों की संख्या Number of shares	धारण का % % of Holding	शेयरों की संख्या Number of shares	धारण का % % of Holding	शेयरों की संख्या Number of shares	धारण का % % of Holding
भारत सरकार Govt. of India	7509232 99.99%	7509232 99.99%	7509232 99.99%	7509232 99.99%	7509232 99.99%

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिये इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

Statement of changes in Equity for the period ended 31st March, 2019

(रुपये)/(Rupees)

	शेयरो की संख्या No. of Shares	राशि Amount
क इक्विटी शेयर पूंजी		
A. Equity Share Capital		
अप्रैल 1 2016 को बकाया		
Balance as at 1st April 2016	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2017 को बकाया		
Balance as on 31st March 2017	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2018 को बकाया		
Balance as on 31st March 2018	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2019 को बकाया		
Balance as on 31st March 2019	75,09,239	75,092.39

(जारी/Continued)

ख. अन्य इक्विटी
B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यंकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
अप्रैल 1, 2016 को बकाया Balance as at 1st April 2016	75.69	2,805.70	5.92	-54,694.58	-	-	-51,807.27
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 1, 2016 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 1st April 2016	75.69	2,805.70	5.92	(54,694.58)	-	-	(51,807.27)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	3,009.57	-	-	3,009.57
जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	(177.18)	-	-	-	-	(177.18)
मार्च 31, 2017 को बकाया Balance as on 31st March 2017	75.69	2,628.52	5.92	(51,685.01)	-	-	(48,974.88)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2017 को पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 31st March 2017	75.69	2,628.52	5.92	(51,685.01)	-	-	(48,974.88)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	11,395.39	-	-	11,395.39

(जारी/Continued)



विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यंकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएँ) Addition/ (deletion) during the year	-	(170.75)	-	-	-	-	(170.75)
मार्च 31, 2018 को बकाया Balance as on 31st March 2018	75.69	2,457.77	5.92	(40,289.62)	-	-	(37,750.24)
जाएँ बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	16,477.78	-	-	16,477.78
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएँ) Addition/ (deletion) during the year	-	(958.29)	-	-	-	-	(958.29)
मार्च 31, 2019 को बकाया Balance as on 31st March 2019	75.69	1,499.48	5.92	(23,811.84)	-	-	(22,230.75)

NOTE-12

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2019

	01.04.2016 को प्रारम्भिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन / पूर्व अवधि त्रुटियाँ	01.04.2016 को पुनर्लिखित बकाया	बृद्धि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जनरल रिजर्व को अंतरण	31.03.2017 को अंतिम बकाया
	Opening balance as at 01.04.2016	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2016	Addition	Other comprehensive income	Dividends	Transfer to other income	Transfer to General Reserve	Closing balance as at 31.03.2017
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	75.69	-	75.69	-	-	-	-	-	75.69
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	2,805.70	-	2,805.70	(177.18)	-	-	-	-	2,628.52
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होल्डिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	(54,694.58)	-	(54,694.58)	3,009.57	-	-	-	-	(51,685.01)
कुल आरक्षित Total Reserves	(51,807.27)	-	(51,807.27)	2,832.39	-	-	-	-	(48,974.88)

(जारी/Continued)

01.04.2017 को प्रारंभिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां	01.04.2017 को पुनर्लेखित बकाया	बृद्धि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जनरल रिजर्व को अंतरण	31.03.2018 को अंतिम बकाया
Opening balance as at 01.04.2017	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2017	Addition	Other comprehensive Income	Dividends	Transfer to other income	Transfer to General Reserve	Closing balance as at 31.03.2018
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	-	75.69	-	-	-	-	-	75.69
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	-	2,628.52	(170.75)	-	-	-	-	2,457.77
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होल्डिंग पर सब्सिडी)	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	-	(51,685.01)	11,395.39	-	-	-	-	(40,289.62)
कुल आरक्षित Total Reserves	-	(48,974.88)	11,224.64	-	-	-	-	(37,750.24)

01.04.2018 को प्रारंभिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां	01.04.2018 को पुनर्लेखित बकाया	बृद्धि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जनरल रिजर्व को अंतरण	31.03.2019 को अंतिम बकाया
Opening balance as at 01.04.2018	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2018	Addition	Other comprehensive Income	Dividends	Transfer to other income	Transfer to General Reserve	Closing balance as at 31.03.2019
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	-	75.69	-	-	-	-	-	75.69
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	-	2,457.77	(865.89)	-	-	(92.40)	-	1,499.48
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होल्डिंग पर सब्सिडी)	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	-	(40,289.62)	16,477.78	-	-	-	-	(23,811.84)
कुल आरक्षित Total Reserves	-	(37,750.24)	15,611.89	-	-	(92.40)	-	(22,230.75)

अनुसूची-13 ट्रेड एवं अन्य देयताएं

NOTE-13 TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
ट्रेड देयताएं	Trade Payables			
मझको उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.	-	-	-
मझको उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	552.18	1,084.36	1,084.36
		<u>552.18</u>	<u>1,084.36</u>	<u>1,084.36</u>

अनुसूची-14 दीर्घ अवधि प्रावधान

NOTE-14 LONG TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	Provision for employees's benefits	-	-	-
अन्य	Others			
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	54.46	1,116.56	1,118.56
ii) नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	ii) Penal Interest of NOIDA land	72.44	68.18	63.92
iii) नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	iii) Nehru Place Flat owners	7.47	7.48	7.48
		<u>134.37</u>	<u>1,192.22</u>	<u>1,189.96</u>



अनुसूची-15

अन्य देयताएँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-15

OTHER NON CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
अन्य	Others			
पूंजी मदें	Capital items	272.95	272.95	272.95
		<u>272.95</u>	<u>272.95</u>	<u>272.95</u>
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	Other long term liabilities			
i) ट्रेड एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	189.05	524.90	514.46
ii) प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	ii) Security / Earnest money deposit	486.19	490.95	462.34
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	102.73	112.90	116.38
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (पट्टे पर आवास)	iv) Ex-Employees (Lease accommodation)	2,070.69	2,053.52	2,016.61
v) सांविधिक देयताएं	v) Statutory liabilities	252.68	252.24	266.45
vi) सीमा शुल्क	vi) Custom duty	585.09	585.09	585.09
vii) अन्य देयताएं	vii) Other Liabilities	65.99	518.23	534.16
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	98.76	91.20	85.89
		<u>3,851.18</u>	<u>4,629.03</u>	<u>4,581.38</u>
		<u>4,124.13</u>	<u>4,901.98</u>	<u>4,854.33</u>

अनुसूची-16
ट्रेड एवं अन्य देयताएं

NOTE-16
TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
लेनदारों को देय	Payable to Creditors	-	5,860.54	5,860.54
एम एस एम ई को देय	Payable of MSME	-	-	-
व्यय के लिये लेनदार	Creditor for expenses	5.55	5.15	4.68
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit fee payable	2.64	2.64	2.56
देय किराया	Rent payable	-	-	10.80
		<u>8.19</u>	<u>5,868.33</u>	<u>5,878.58</u>



अनुसूची-17
अन्य चालू देयताएं

NOTE-17
OTHER CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	52.55	45.10	40.00
देय प्रतिभूति व्यय	Security expenses payable	29.49	29.63	19.84
सांविधिक देयताएँ	Statutory liabilities	18.89	82.20	48.34
कर्मचारियों का वेतन	Salary for employees	1.67	1.78	1.46
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.27	0.27	0.53
देय नगर पालिका कर	Municipal Tax payable	-	79.25	-
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from customer	-	-	9.07
स्थायी परिसम्पत्ति/वस्तुसूची की बिक्री पर अग्रिम	Advance against sale of fixed assets /Inventory	-	3,712.60	-
अग्रिम पट्टा किराया	Advance lease rental	8.73	20.62	16.87
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	38.55	-	-
		150.15	3,971.45	136.11

अनुसूची-18 लघु अवधि प्रावधान

NOTE-18 SHORT TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) Provisions for employees benefit			
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	14.77	31.08	36.96
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	7.60	10.12	10.59
सेनानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	42.05	51.92	41.12
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए. आदि)	Others (VSS-TA etc.)	3.47	3.44	3.42
बोनस	Bonus	0.28	0.34	0.62
(ख) अन्य	(b) Other			
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	155.91	247.30	212.33
कानूनी मामलों के लिये प्रावधान	Provision for legal cases	-	604.09	522.44
आयकर के लिये प्रावधान (निवल अग्रिम कर तथा टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (Net of advance tax & TDS)	1,985.10	3,049.51	492.52
आई बी पी (आई ओ सी एल) को भुगतान के लिये प्रावधान	Provision for payment to IBP (IOCL)	9.96	-	-
		2,219.14	3,997.80	1,320.00

अनुसूची-19

अन्य आय

NOTE-19 OTHER INCOME

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
ब्याज से आय		
लघु अवधि जमा		
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये		
बैंक में जमा		
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा		
कोष को स्थांतरित		
अन्य ब्याज		
अन्य आय अप्रचालन से		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली		
पट्टे के आवास के किराये		
की वसूली		
एम.बी.ई.एल.(ए.सी.सी.) से पट्टा किराया		
लाइसेंस फीस की वसूली		
भूमि के किराये की वसूली		
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस		
(रेलवे साइडिंग) की वसूली		
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार		
अन्य आय		
सुरक्षा सेवाओं से आय		
अन्य लघु आय		
सिलेंडर के किराये से आय		
वापस लिया गया प्रावधान जो नहीं चाहिए		
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ		
(निवल स्कैप परिसम्पत्तियां)		
पूर्व अवधि आय (संदर्भ नोट 23)		
बागवानी उत्पाद और लकड़ी		
(लम्बी) और राख की बिक्री		
Interest Income		
Short term deposits	2,629.15	2,215.10
Bank deposits workers amenities fund	4.88	5.31
Less: Transfer to workers amenities fund	(4.88)	(5.31)
Other interest	4.26	0.81
Other non-operating Income		
Recovery of Rent, Elec/Water charges	50.10	65.54
Recovery of lease rent from	67.74	44.68
leased Accomodation		
Lease rent from MBEL (ACC)	-	19.28
Recovery of Licence fee	21.33	16.61
Recovery of rent from land	27.25	24.27
Recovery of Licence fee from	273.26	272.40
ACC(Rly.Siding)		
Water charges received from PDIL	8.17	18.60
Misc Income	20.47	21.18
Income from Security Services	25.48	20.99
Other petty income	3.86	1.61
Rental Income from Cylinder	4.83	4.83
Provision no longer required written back	620.24	105.22
Profit on sale of Fixed Assets	16,766.15	125.60
(net of assets scrapped)		
Prior period Income (refer note 23)	39.66	-
Sale of Horticultural Products,	7.01	26.75
dry logwoods & Ash		
	20,568.96	2,983.47

अनुसूची-20 कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

NOTE-20 EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	32.69	33.37
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	1.08	1.08
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	1.34	13.67
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	5.43	6.11
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	-	0.21
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	0.91	1.01
		41.45	55.45

अनुसूची-21 वित्तीय लागत

NOTE-21 FINANCE COST

		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
अन्य ब्याज (सेवा कर/जीएसटी पर)	Other Interest (on Service tax/GST)	1.48	14.82
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर ब्याज	Interest on delayed payment of advance tax	-	182.84
बैंक प्रभार	Bank charges	0.21	0.44
कुल वित्तीय लागत	Total Finance Cost	1.69	198.10

अनुसूची-22
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय

**NOTE-22
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
सम्पत्ति,संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास	Depreciation on Property Plant & Equipment	8.61	12.04
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	Depreciation on Investment Property	-	-
		<u>8.61</u>	<u>12.04</u>

अनुसूची-23

अन्य व्यय

NOTE-23 OTHER EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity & Water charges	64.59	126.31
किराया	Rent	7.08	7.08
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	273.49	331.41
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	816.46	913.91
बीमा	Insurance	2.76	2.77
दर एवं कर	Rates & Taxes	58.70	105.36
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	113.58	102.35
कानूनी एवं वृत्तिक व्यय	Legal & Professional Expenses	88.49	56.25
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	18.59	7.76
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.44	0.45
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	News papers & periodicals	0.18	0.18
गैस्ट हाउस प्रभार	Guest House Expenses	1.61	1.44
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	5.39	5.65
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	0.99	0.84
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges of NOIDA land	4.26	4.26
टेलीफोन, फ़ैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	4.26	6.08
यात्रा पर व्यय:	Travel Expenses:		
निदेशक	Director	2.47	3.56
अन्य	Others	17.25	21.77
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenses on vehicles	0.72	3.63
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	0.45	0.65
विज्ञापन	Advertisement	0.02	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	171.77	63.57
कानूनी खर्चों के लिये प्रावधान (आईईएल)	Provisions for legal expenses (IEL)	-	81.65
पूर्व अवधि व्यय	Prior period expenditure	39.18	13.49
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on rehabilitation study	0.52	22.11
अन्य व्यय	Misc. Expenses	42.45	32.13

(जारी/Continued)



अनुसूची-23
अन्य व्यय (जारी)

NOTE-23
OTHER EXPENSES (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
लेखा परीक्षकों के रूप में		
क) लेखा परीक्षा फीस		
ख) कर लेखा परीक्षा फीस		
ग) खर्चों का पुनर्भुगतान		
परामर्श शुल्क – पीडीआईएल (पुनर्भुगतान का निवल)		
न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान जो आगे वसूली योग्य नहीं, बट्टे खाते डाला गया		
एमएसटीसी पर कमीशन		
आई बी पी (आई.ओ.सी.एल) को भुगतान		
Payment to Auditors:		
As Auditor		
a) Audit Fee	2.41	2.41
b) Tax Audit Fee	0.47	0.47
c) Reimbursement of Expenses	0.32	0.36
Consultancy charges- PDIL (Net of reimbursement)	447.39	115.75
Payment as per court order no longer recoverable written off	-	527.62
Commission on MSTC	265.68	78.86
Payment to IBP (IOCL)	9.96	-
	2,461.93	2,640.13
Prior Period Items		
Salaries & Wages	0.07	0.01
Excise duty / Sales tax	10.86	-
Repairs & Maintenance	-	0.90
Rates and Taxes	-	7.93
Legal & Professional	0.80	0.37
Security Expenses	1.52	-
Other Expenses	25.93	4.28
	39.18	13.49
Income		
Other Misc. Income	39.66	-
	39.66	-

अनुसूची-24
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

NOTE-24
EARNING PER SHARE (EPS)

		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
		31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018
वर्ष के दौरान निवल लाभ/हानि	Net Profit /Loss for the year	16,477.78	11,395.39
इक्विटी शेयर धारकों के लिये उपलब्ध राशि (क)	Amount available for equity share holders(A)	16,477.78	11,395.39
औसत शेयरों का आंकलन (ख)	Weighted average number of shares(B)	75.09	75.09
मूल एवं द्रवीय प्रति शेयर अर्जन (क/ख)	Basic and diluted earning per share(A/B)	219.43	151.75
फेस वैल्यू 100 प्रति शेयर	Face value 100 per share		

महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है। विचारणीय वर्ष में इण्ड ए एस को लागू करने का पहला वर्ष है।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) जहाँ तक अधिसूचित है के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत, कुछ वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स को छोड़कर जो कि उचित मूल्यों पर आँके जाते हैं, उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। इण्ड ए एस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, कंपनी नियम 2015 इण्डियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम 3 और उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियम के साथ पढ़ें।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष सहित और यहाँ तक कि अवधियों के लियें ग्रुप ने अपने वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित, कम्पनी नियम 2014 इण्डियन जी ए ए पी के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़ें, लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये पहली बार इण्ड ए एस के अनुसार तैयार किया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH, 2019

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies which are being consistently followed. The year under consideration is the first year for the implementation of Ind AS.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') (to the extent notified). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the relevant amendment rules issued thereafter.

For all periods up to and including the year ended 31st March 2019, the Group prepared its financial statements in accordance accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended 31st March 2019 are the first the Company has prepared in accordance with Ind AS.

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आई एन आर) में प्रस्तुत किया गया है और जब तक इंगित न किया जाये, सभी मूल्यों को नजदीकी लाख (आई एन आर 00,000) में पूर्णांकित किया गया है।

II. अनुमान का लगाना

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार करने के लिये प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है जो कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखा अनुमान वर्तमान और भविष्य की अवधि के किसी भी संशोधन में भावी रूप से मान्य है।

III. व्यापारिक एकरूपता

इण्ड ए एस 101 के अनुसार पहली बार अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधानों को ग्रुप ने भावी व्यापार एकरूपता के लिये इण्ड ए एस लेखांकन को 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय लिया है। अतः व्यापार एकरूपता से संबंधित इण्डियन जी ए ए पी बकाया जो कि उस तिथि से पहले प्रविष्टि की गई है, सद्भावना (गुडविल) सहित, न्यूनतम

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, Accounts have been finalized on the basis of going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') and all values are rounded to nearest lacs (INR 00,000), except when otherwise indicated.

II. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. BUSINESS COMBINATIONS

In accordance with Ind AS 101 provisions related to first time adoption, the Group has elected to apply Ind AS accounting for business combinations prospectively from 1st April 2014. As such, Indian GAAP balances relating to business combinations entered into before that date, including goodwill, have been carried forward with minimal

समायोजन के साथ आगे लेखित कर दिया गया है। ऐसा ही पहली बार अंगीकृत छूट का प्रयोग सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लिये भी किया गया है।

व्यापार एकरूपता को अर्जन पद्धति से लेखांकित किया गया है। अंतरित किये गये प्रतिफल के कुल के रूप में अर्जन के लागत का माप अर्जन के दिनांक से उचित मूल्य, और अर्जन में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित ब्याज की राशि को मापा जाता है। प्रत्येक व्यापार एकरूपता के लिये कंपनी या तो अनियंत्रित ब्याज के अर्जन को उचित मूल्य पर मापने के लिये अथवा अर्जन करने वाले की पहचान हो सकने योग्य निवल परिसम्पत्ति का औसत शेयर चुनती है। अर्जन संबंधी खर्चों को व्यय में दिखाया गया है।

संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार से संयुक्त रूप से व्यवस्था है जहाँ व्यवस्था में पार्टियों का संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है और निवल परिसम्पत्ति में संयुक्त उद्यमों का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये सविदागत सहमति है। यह केवल तभी संभव है जहां संबंधित गतिविधियों के विषय में पार्टियाँ जिनका नियंत्रण में हिस्सा है की सर्वसम्मति सहमति से निर्णय लिया जाता है।

यह पता लगाने के लिये विचार किया गया है कि संयुक्त नियंत्रण वैसा ही है जैसा कि सब्सिडरी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये आवश्यक होता है।

संयुक्त उद्यम में निवेश को इक्विटी पद्धति द्वारा लेखांकन किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत पर लिया जाता है ताकि अर्जन की तिथि से सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निवल परिसम्पत्ति के

adjustment. The same first time adoption exemption is also used for associates and joint ventures.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Company elects whether to measure the non controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Investment in Joint Ventures

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining whether joint control is similar to those necessary to determine control over the subsidiaries.

The entity investments in its joint venture are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The carrying amount of

ग्रुप शेयर में परिवर्तन को जाना सके। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित विश्वसनीयता को निवेश से ली गई राशि में समाहित किया जाता है और अलग से क्षति के लिये परीक्षण नहीं किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण संयुक्त उद्यम के प्रचालन परिणाम को संस्थागत शेयर के रूप में दर्शाता है। इन निवेशकों के ओ सी आई में किसी भी परिवर्तन को संस्था के ओ सी आई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब संयुक्त उद्यम के इक्विटी में परिवर्तन को सीधे मान्यता दी जाती है, ग्रुप अपने शेयर में किसी परिवर्तन को, जहाँ लागू हो, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को मान्यता देता है। कम्पनी और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन के कारण अप्राप्य लाभ एवं हानि को जहाँ तक हो, संयुक्त उद्यम के ब्याज को विलोपित कर दिया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम की कंपनी के हिस्से का घाटा उसके ब्याज के बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है (जिसके अंतर्गत दीर्घ अवधि ब्याज, सार रूप में, संयुक्त उद्यम में संस्था के सकल निवेश का भाग हैं) संस्था आगे होने वाले अपने हिस्से के घाटे को मान्य करना बन्द कर देती है। अतिरिक्त घाटे, एक सीमा तक, तभी तक मान्य होते हैं जब तक कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो। यदि संयुक्त उद्यम आगे चल कर लाभ दिखाता है, संस्था मान्य न किये गये अपने लाभ के हिस्से के बराबर हानि के हिस्से को लाभ का हिस्सा मानना प्रारम्भ कर देती है।

संयुक्त उद्यम के कंपनी के कुल लाभ या हानि के शेयर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

the investment is adjusted to recognise changes in the Group's share of net assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment individually.

The statement of profit and loss reflects the entity share of the results of operations of the joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the entity's OCI. In addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Group recognises its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

If a Company share of losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture (which includes any long term interest that, in substance, form part of the entity's net investment in the joint venture), the entity discontinues recognising its share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture. If the joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.

The aggregate of the Company share of profit or loss of a joint venture is shown on the face

इक्विटी प्रकृति को लागू करने के पश्चात कंपनी यह निर्धारित करती है कि संयुक्त उद्यम के अंतर्गत क्या क्षति घाटा को दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर कंपनी निर्धारित करती है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि संयुक्त उद्यम में किये गये निवेश से उसे छति हुई है। यदि ऐसा प्रमाण है, कम्पनी क्षति की राशि का परिकलन संयुक्त उद्यम के वसूली योग्य राशि और उसके लिये गये मूल्य के बीच के अन्तर को और तब घाटे को सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा, के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

IV. चालू और चालू नहीं में वर्गीकरण

ग्रुप, तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू/चालू नहीं के आधार पर वर्गीकृत करती है। परिसम्पत्ति को चालू के रूप में माना जाता है जब उसके:-

- मिलने की संभावना हो या बेचने की तैयारी हो या सामान्य विधि से उपभोग करना हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- नकद या नकद के बराबर, जब तक कि विनिमय की पाबंदी न लगाई गई हो या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं का निपटारा न किया गया हो

अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण चालू नहीं के रूप में है।
देयता चालू के रूप में है जब:

of the statement of profit and loss. After application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on its investment in its joint venture. At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If there is such evidence, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying value, and then recognises the loss as 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the statement of profit or loss.

IV. Current Versus Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- इसके सामान्य आपरेंटिंग चक्र में निपटारा होने की संभावना हो
- इसके प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- इसके रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीने के अन्दर निपटान होने योग्य हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं के निपटान में मतभेद के लिये बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

ग्रुप अन्य सभी देयताओं को चालू नहीं के रूप में वर्गीकृत करता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ और देयताओं को चालू नहीं परिसम्पत्तियाँ और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र, प्रोसेसिंग के लिये अर्जन किये गये परिसम्पत्ति और नकद या नकद के बराबर उनके मान्य होने के बीच का समय है। ग्रुप ने इसके परिचालन चक्र को बारह महीने निर्धारित किया है।

V. राजस्व मान्यता

जब भुगतान किया जाता है, राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कंपनी को आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। राजस्व को प्राप्त हो गये अथवा होने योग्य राशि को परिभाषित संविदागत भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुये सरकार के लिये इकट्ठी की गई कर एवं शुल्क को छोड़ कर उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी का यह निष्कर्ष है कि वह अपने

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The group has identified twelve months as its operating cycle.

V. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government. The Company has concluded that it is the principal in all of its

सभी राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ रहा है चूँकि वह राजस्व व्यवस्था में प्राथमिक रूप से बाध्य या क्योंकि उसके पास प्राइसिंग लैटीट्यूड है और वस्तुसूचियों एवं क्रेडिट जोखिम का खुलासा हुआ है।

राजस्व मान्यता से पूर्व निम्नलिखित विशेष मान्यता विधि को भी अपनाना चाहिए:-

- निवेश की गई राशि और ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुये ब्याज से आय औसत समय आधार पर मान्य होता है ; और
- राजस्व तब मान्य होता है जब ग्रुप को भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह साधारणतः तभी होता है जब शेयर धारक लाभांश का अनुमोदन प्रदान कर देते हैं और
- निवेश की गई सम्पत्ति के उपर प्रचालन पट्टे से मिलने वाले किराया के आय का पट्टा निबंधन में स्ट्रेट लाइन पद्धति से लेखित किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में, प्रचालन स्वरूप के कारण, राजस्व में अंतरित किया जाता है।

VI. स्थायी परिसम्पत्तियाँ

पिछले जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) में स्वामित्व पर भूमि एवं भवन (सम्पत्ति), निवेशित सम्पत्ति को छोड़ कर, 31.3.2015 को किये गये उचित मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र में लिया गया था। कंपनी ने पुनर्मूल्यांकन की तिथि में सम्पत्ति के उन मूल्यों को लागत के रूप में माना है क्योंकि वे व्यापक रूप से उचित मूल्य से तुलनीय थे। कंपनी ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि 31.3.2015 तक का पुनर्मूल्यांकन अप्रैल 1, 2018

revenue arrangements since it is the primary obligor in all the revenue arrangements as it has pricing latitude and is also exposed to inventory and credit risks.

Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest; and
- Revenue is recognised when the Group's right to receive the payment is established, which is generally when shareholders approve the dividend; and
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.

VI. FIXED ASSETS

Under the previous GAAP (Indian GAAP), freehold land and buildings (property), other than investment property, were carried in the balance sheet on the basis of fair valuations performed as at 31.03.2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the revaluation since they were broadly comparable to fair value. The Company has also determined that revaluation as at 31.03.2015 does not differ materially from fair valuation as at 1st April

(इण्ड ए एस को प्रभाव में लेने की तारीख) के उचित मूल्यांकन से भिन्न नहीं है इस प्रकार कंपनी ने अप्रैल 1, 2018 को परिसम्पत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र एवं उपकरण के कुछ मदों को इण्ड ए एस के प्रभावी दिनांक से उचित मूल्य पर मापा गया है। ग्रुप उचित मूल्य को प्रभावी दिनांक अर्थात् अप्रैल 1, 2018 को मान्य लागत मानता है।

अन्य परिसम्पत्तियाँ

- क) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हें 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड़ कर, स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) मूर्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।
- ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।
- घ) मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें कंपनी 12 माह से अधिक के लिए उपयोग करना चाहती है का पूंजीकरण इण्ड ए एस-2 के प्रावधान के अनुसार किया गया है।
- ङ) मूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

2018 (date of transition to Ind AS). Accordingly, the Company has not revalued the property at 1st April 2018 again. Certain items of plant and equipment have been measured at fair value at the date of transition to Ind AS. The Group regards the fair value as deemed cost at the transition date, viz., 1st April 2018.

Other Assets:

- a) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which have been revalued during the year ended 31st March 2015.
- b) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- c) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- d) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions of Ind AS-2.
- e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost and expenses could be measured reliably.

च) सेवामुक्त स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य हासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास लागत के 95 प्रतिशत से अधिक का पहले ही कर दिया गया है, उसे वैसे ही बनाये रखा गया है।

VII. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में गिरावट/कमी को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

VIII. मूल्यहास

क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।

ख. मूल्यहास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

IX. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

प्रत्येक उत्पाद को वर्तमान स्थान और स्थिति पर लाने के लागत को निम्न प्रकार से लेखित किया गया है:-

f) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value. However, where fixed assets are already depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

VII. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VIII. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.

c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

IX. INVENTORIES

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

- कच्चा माल : वस्तुसूचियों को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने पर किया गया क्रय लागत तथा अन्य लागत सम्मिलित है। लागत का निर्धारण पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर किया जाता है।
- तैयार माल एवं कार्य प्रगति में : लागत में प्रत्यक्ष सामग्री एवं श्रम एवं सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवर हेड्स के अनुपात की लागत, लेकिन उधार लिये गये की लागत को छोड़कर, शामिल है। लागत पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ट्रेड किया गया सामान: लागत में खरीद की लागत एवं अन्य लागत शामिल हैं जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

व्यापार के साधारण तरीके से अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत में से घटाकर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

कंपनी के पास 174.89 लाख रुपये की वस्तुसूचियाँ हैं जो कि तुलन-पत्र में अब तक है। इसमें से 174.79 लाख रुपये की प्लेटिनम का भंडार है जिसका मूल्य लागत से कम पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया गया है। प्लेटिनम का मूल्य खरीद की तारीख के बाद से काफी बढ़ गया है। अतः प्लेटिनम के भंडार का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

पैकिंग सामग्री और स्टोर और पुर्जों के अन्य भंडार को निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा गया है और

Raw materials: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on first in, first out basis.

- Finished goods and work in progress: cost includes cost of direct materials and labour and a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity, but excluding borrowing costs. Cost is determined on first in, first out basis.
- Traded goods: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company has inventory of Rs.174.89 lakh lying as on the date of Balance Sheet. Out of this Rs.174.79 lakh consist of Stock of Platinum which has been valued at lower of cost and net realisable value. The value of platinum has increased substantially since the date of purchase. Therefore, the stock of platinum has not revalued.

The other stock of packing material and stores & spares has been measured at net realisable

मूल्य में अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल स्टोर्स एवं स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है। केवल इन्हें छोड़ कर:-

क) कोरबा प्लांट में मूल्य, लागत के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और

ख) सिन्दरी प्लांट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रुपये मूल्य का प्लेटिनम भंडार में रखा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लेटिनम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री रसायन, कैटेलिस्ट और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रीकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत के 100 प्रतिशत पर अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

X. गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक को यह आकलन करती है कि परिसम्पत्ति में क्षति होने के क्या कोई संकेत हैं। यदि संकेत हैं या जब परिसम्पत्ति के वार्षिक क्षति जाँच की आवश्यकता होती है तब कंपनी परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि, एक परिसम्पत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट के उचित मूल्य से अधिक को निपटान की लागत और उपयोग में इसकी कीमत में घटाने से

value and provision has been created for obsolescence in value.

Obsolescence or depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:

a) In Korba Plant, the value considered at 5% of the cost and

b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 175.00 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost towards obsolescence.

X. IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an

प्राप्त होती है। जब तक कि परिसम्पत्ति नकद प्रवाह पैदा न करती हो जो कि अन्य परिसम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों के समूह से वे अधिकतर स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत परिसम्पत्ति के लिये वसूली राशि का निर्धारण किया जाता है जब एक परिसम्पत्ति या सी जी यू की कैरिंग राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसम्पत्तियों को क्षति युक्त समझा जाता है और तब उसे वसूली योग्य राशि से कम करके लिखा जाता है।

जो उपयोग में हो रहा है, उसके मूल्य का आकलन करने से पूर्व कर रियायत दर को अपनाते हुये जो समय धन का मूल्य और जोखिम परिसम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को उसके वर्तमान मूल्य में से रियायत दिया जाता है। उचित मूल्य के निपटान की लागत का निर्धारण करने में, वर्तमान बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस प्रकार के किसी लेन-देन की पहचान नहीं हो सकती है तब एक उपयुक्त मूल्यांकन माडल का उपयोग किया जाता है।

ओ सी आई को ले जाये गये पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के साथ पहले पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति को छोड़ कर वास्तुसूचियों की क्षति सहित लगातार प्रचालन में क्षति से हुई हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया गया है। इस प्रकार की सम्पत्ति के लिये पूर्व पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक ओ सी आई में क्षति माना जाता है।

यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई संकेत है कि पहले मानी गई क्षति से हानि अब नहीं है या घट गई हैं, गुडविल को छोड़ कर परिसम्पत्ति के लिये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को निर्धारण किया जाता है। पहले मानी गई क्षति हानि में से यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिये

individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Impairment losses of continuing operations, including impairment on inventories, are recognised in the statement of profit and loss, except for properties previously revalued with the revaluation surplus taken to OCI. For such properties, the impairment is recognised in OCI up to the amount of any previous revaluation surplus.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has



परिकल्पना में कोई परिवर्तन है, केवल तभी पहले मानी गई क्षति हानि को सुरक्षित रखा जाता है। वापसी सीमित है ताकि परिसम्पत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई होगी, निवल मूल्यहास का, पिछले वर्षों में परिसम्पत्ति के लिये क्षति हानि को नहीं माना गया था। लाभ या हानि विवरण में इस तरह के वापसी को मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसम्पत्ति को एक पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस स्थिति में, वापसी को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

XI. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.एस.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

XII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

XI. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

XII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000/- in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

XIII. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रवधान किया जाता है।

XIV. पट्टे पर

इस बात का निर्धारण कि क्या कोई व्यवस्था (शामिल है) पट्टा है जो पट्टे के प्रारम्भ से पट्टे की व्यवस्था पर आधारित है। व्यवस्था, एक पट्टा है, या समाहित है, यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट सम्पत्ति या सम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था सम्पत्ति या सम्पत्तियों की उपयोग करने का अधिकार देती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदार है

पट्टे को जहाँ पट्टादाता, पट्टे पर दिये गये मदों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से पर्याप्त रूप में बनाये रखता है, को आपरेंटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाभ-हानि विवरणिका में आपरेंटिंग पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदाता है

पट्टों को जहाँ कम्पनी काफी हद तक परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ का स्थांतरण नहीं करती है, को आपरेंटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ बशर्ते जो आपरेंटिंग पट्टे पर हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल हैं। लाभ-हानि विवरणिका में पट्टों से आय को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर माना गया है। लाभ-हानि विवरणिका में मूल्यहास सहित लागत को व्यय के रूप में माना गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि विवरणिका में तुरंत लिया गया है।

XIII. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.

XIV. LEASES

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Where the Company is the lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

Where the Company is the lessor

Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

XV. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन मूल आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ, सी.सी.ई.ए. के निर्णय का सारांश, को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-
 - i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है।
 - ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूंजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरुज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक उद्यमों और ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल को वचनबद्धता फीस के 2500 लाख रुपये एफ. सी.आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति दी है।
 - iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी दी है। ये लेनदार एन.पी.डी.सी. एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., सी.डब्ल्यू.सी., और आई. ओ.सी. हैं।

XV. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:
 - I. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13.
 - II. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, and the participating PSUs in the revival to make the payment of Rs.2500.00 Lakh towards commitment fees to FCIL to make the net worth of FCIL positive.
 - III. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.

iv. मै0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और इन देयताओं पर लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना ।

v. वर्तमान में नामांकन पद्धति से रामागुण्डम में एन. एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम से मै0 रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) के द्वारा तथा तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ., सी.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम से मै0 तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) के द्वारा पुनर्जीवित/नया प्लांट लगाने का कार्य प्रगति में है।

1.1 एफ.सी.आई.एल. को उसके उपयोगी सम्पत्ति, अवसर लागत, भूमि आदि प्रदान करने के बदले में चरणबद्ध रूप से इक्विटी शेयर उस सीमा तक जारी किये जायेंगे कि अन्य पी.एस.यू. इक्विटी पूँजी के लिये नगद में इक्विटी शेयर इस प्रकार से योगदान करेंगे कि एक समय अवधि के पश्चात जे.वी.सी. में एफ.सी.आई.एल. की इक्विटी हिस्सा प्रोजेक्ट के व्यावसायिक उत्पादन होने के समय प्रोजेक्ट के पूँजी व्यय के इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत हो जायेगा।

1.2 कैबिनेट ने 13.07.2016 को सिन्दरी और गोरखपुर एककों को एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी. की एस. पी.वी./जे.वी. के द्वारा पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दी है। एफ.सी.आई.एल. के चारो एककों/परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिये प्रति परियोजना 11 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जायेगी। बाकी इक्विटी एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी.एल. द्वारा मै. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एच.यू.आर.एल.) संयुक्त उद्यम के द्वारा वहन की जायेगी।

गोरखपुर में पुराने संयंत्र के पिनटान का कार्य प्रारम्भ हो गया है ताकि क्षेत्र को साफ कर हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एच.यू.आर.एल.) को नया संयंत्र लगाने के

IV. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31st March 2003 with waiver of any interest or penalty imposed on these dues.

V. Presently revival/setting up of new plants is in progress, under nomination route, the Ramagundam Unit by M/s Ramagundam Fertilizer and Chemicals Ltd.(RFCL) a Joint Venture of NFL, EIL & FCIL and Talcher Unit by M/s. Talcher Fertilizer Limited (TFL) a Joint Venture of GAIL, RCF, CIL & FCIL.

1.1 As a consideration to FCIL for providing usable assets, towards opportunity cost, land use etc. FCIL shall be issued equity shares in phases, in proportion to the extent the other PSUs contribute equity shares towards the equity capital in cash, such that, over a period of time, the equity holding of the FCIL in JVC will be 11% of the equity portion of the capital expenditure of the project at the time of commencement of the commercial production of the project.

1.2 Cabinet has approved on 13.7.2016 the revival of Sindri and Gorakhpur Units by an SPV/JV amongst NTPC, CIL and IOC. FCIL would be provided 11% equity per project in the revival of the Units/projects. Balance equity would be held by NTPC, CIL and IOCL.

Disposal of old plant at Gorakhpur has been taken up to clear the area for providing it to Hindustan Urvarak and

लिए उपलब्ध कराया जा सके। पी.डी.आई.एल. की सहायता से मै. एम.एस.टी.सी. द्वारा पुराने प्लांट की ई-निलामी के माध्यम से 58.77 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

एच.यू.आर.एल. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी को प्राप्त करने की औपचारिकता पूरी कर ली है। पुनर्जीवित करने वाले संयुक्त उद्यम ने डिजाइन, खरीद, निर्माण और एल.एस.टी.के. पर आधारित यूरिया संयंत्र को लगाने के लिए प्रस्ताव पहले ही प्राप्त कर लिये हैं और एल.एस.टी.के. ठेकेदारों को सिंदरी और गोरखपुर एककों से आदेश दे दिये गये हैं।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने, एम एस टी सी द्वारा, पी डी आई एल की सहायता से पुराने प्लांट के प्रयोग में न होने वाली मदों से ई-नीलामी के द्वारा सिन्दरी से 185.63 करोड़ रुपये और तलचर से 5.59 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं। इन राशियों का उपयोग देयताओं तथा प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में किया जायेगा।

2. तीनों नामित सरकारी उद्यमों, सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल. द्वारा दी जाने वाली प्रतिबद्धता फीस की स्थिति

- i. एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के 833.00 लाख रुपये प्रत्येक के भुगतान के संबंध में तीनों कम्पनियों से निवेदन किया गया था।
- ii. सी.सी.ई.ए. द्वारा 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार पहले एफ.सी.आई.एल. ने तीनों सरकारी उद्यमों से प्रतिबद्धता फीस के भुगतान करने के लिये निवेदन किया था और उसी कारण इस राशि को एफ.सी.आई.एल. के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों में प्राप्ति होने योग्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

Rasayan Ltd. (HURL) for setting up of a new plant. An amount of Rs. 58.77 crore has been realised on e-auction of the old plant by M/s. MSTC with the assistance of PDIL

HURL has completed the formalities for obtaining Environment Clearance from MOEF. The reviving Joint Venture has already obtained offers for Design, Procurement, Erection and commissioning of the Urea plant on LSTK basis and orders have been placed by HURL for both the projects.

During the year the Company has realised Rs.185.63 crore from the disposal of unusable items from Sindri Unit through e-auction of the old plant by MSTC with the assistance of PDIL and Rs.5.59 crore from Talcher Unit. These amount would be utilized for clearance of liabilities and towards administrative expenditure.

2. Status of commitment fee to be paid by the three nominated PSUs namely SAIL, CIL and EIL

- i) As regards to payment of commitment fee by the three PSU's, they were requested to pay Rs.833.00 Lakh each to FCIL.
- ii) Earlier FCIL made a request to three PSUs to release the commitment fee as approved by CCEA on 09.05.2013 as the amount has been shown as receivable income in the books of FCIL in the annual accounts for the year 2012 -13.

iii. ई.आई.एल. ने 26.5.2013 को संदेश दिया था कि उनके बोर्ड ने एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के 833.00 लाख रुपये देने की स्वीकृति दे दी है। चूँकि अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. से बात की जिससे ई.आई.एल. पर दबाव डाला जा सके ताकि वह भुगतान कर दें।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने ई.आई.एल. के अ.प्र.नि. को 17.4.2014 के पत्र द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया है और उसके बाद 15.07.2015 और 9.3.2016 को ई.आई.एल. को स्मरण पत्र भेजा है।

iv. चूँकि सी.आई.एल. से अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (कोयला) से प्रतिबद्धता फीस एफ.सी.आई.एल. को भुगतान के लिये बात की जिससे सी.आई.एल. पर दबाव डाला जाये। सलाहकार (कोयला) ने 13.5.2014 को सूचित किया कि सी.आई.एल. बोर्ड ने अपनी 306 वीं बैठक में एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है।

एफ सी आई एल के सी एम डी ने सी आई एल के सी एम डी से 17.4.2014 के पत्र के माध्यम से और पुनः सी आई एल को दिनांक 15.7.2015 और 9.3.2016 के स्मरण-पत्र के माध्यम से अनुगामी कार्यवाही करने के लिये लिखा है। निदेशक (वित्त) ने भी जुलाई 13, 2015 को ई आई एल और सी आई एल पर दबाव डालते हुये उन्हें शीघ्र भुगतान करने के लिये लिखा है।

iii) EIL communicated on 26.05.2013 that their Board has approved the payment of Rs.833.00 Lakh to FCIL as commitment fee. Since the payment was not forth coming, Secretary (F) took up the matter on 7.03.2014 with Secretary, MOPNG to impress upon EIL to release the payment.

CMD FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 to CMD EIL. Further reminders to EIL on 15.07.2015 and 09.03.2016.

iv) Since payment from CIL was not forthcoming, Secretary(F) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary(Coal) to impress upon CIL to pay the commitment fee to FCIL. Advisor(Coal) informed on 13.05.2014 that CIL Board has approved the payment of commitment fee to FCIL in their 306th meeting.

CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 to CMD, CIL and further reminders to CIL on 15.7.2015 and 9.3.2016. Director (Finance) also wrote to them on 13th July, 2015 impressing upon to EIL and CIL to release the payment at the earliest.

जैसा कि सेल, सिन्दरी एकक को पुनर्जीवित करने के कार्य को वापस ले लिया है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20.5.2015 को सिन्दरी एकक को बिडिंग रूट से पुनर्जीवित करने के लिये अनुमोदन किया है। सेल से मिलने वाले 834.00 लाख रुपये को वर्ष 2014-15 में वापस ले लिया गया है।

वर्ष 2013 में सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के अनुसार ई.आई.एल. और सी.आई.एल. ने प्रतिबद्धता शुल्क के 16.66 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है और तब से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। सी.ए.जी. की टिप्पणी पर विचार करते हुए वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने लेखा बही से 16.66 करोड़ रुपये को हटा दिया है।

Rs.834.00 Lakh receivable from SAIL has withdrawn during the year 2014-15 as approved by the competent authority, as SAIL has withdrawn from revival of Sindri Unit and Union Cabinet has approved revival of Sindri Unit through "bidding route" on 20.05.2015.

EIL and CIL have not released the commitment fee of Rs.16.66 crore as approved by CCEA in the year 2013 and more than 3 years have lapsed since then. Further, considering the observation of CAG the company has withdrawn Rs.16.66 crore from the books of account with the approval of competent authority during the year 2016-17.

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

1. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखंड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, अनुमानित मूल्य 14.11 लाख रुपये लगाया गया है।
2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ. सी.आई.एल. द्वारा अर्जित की गयी है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/ उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरुज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सुविधा पत्र माँगा है।

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

1. Out of total land of 6652.61 acres, 112 acres received from Govt. of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs. 14.11 Lakh at notional value as per guidelines of Department of Public Enterprises.
2. Land measuring 907 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the company/ DoF. Vide DO NO. 18021/02/2005- FCI dated 25.11.2011, DOF sought a letter of comfort from the Govt. of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.

3. सरकार लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।
4. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।
5. तलचर में एफ.सी.आई.एल की 933.60 एकड़ भूमि है जो कि राज्य सरकार से वर्ष 1971 और 1979 के बीच प्राप्त हुई है।
6. गोरखपुर एकक में कम्पनी को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान कम्पनी द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।
7. डी ओ एफ और एम एच ए के बीच हुए दिनांक 5.2.2014 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर एकक में कुछ भवन और मकान सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को दिये थे। जैसा कि डी.ओ.एफ. और एम.एच.ए. के बीच समझौता हुआ था, यूनिट के मै. एच.यू.आर.एल. द्वारा पुनर्जीवन को ध्यान में रखते हुये एस.एस.बी. को लगभग 124 एकड़ में समायोजित करने की सलाह दी गयी है।
8. रामागुण्डम एकक में 1971 से 1989 तक के वर्षों में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई है और इसका कल्पित मूल्य 4.59 लाख रुपये है। लोक
3. As per the guidelines of Government Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs. 18.64 Lakhs received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.
4. At Talcher Unit, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters received from HWP under mutual agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.
5. At Talcher Unit, FCIL has 933.60 acres land which was received from State Government between 1971 and 1979.
6. At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project. Out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 Lakh had been paid to the government by Company and the balance 60% valued at Rs.32.67 Lakh was given by the State Government.
7. Certain buildings and quarters have been given to Sashastra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5.2.2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the Unit by M/s HURL, SSB has been advised to accommodate themselves in an area of around 124 acres as was agreed between DOF and MHA.
8. At Ramagundam Unit, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. is free of cost and notionally valued at

उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है।

9. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लॉट का आबंटन किया गया था। यह प्लॉट ए-11, सैक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में कंपनी के कब्जे में है।

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

1. चालू देयताओं में उन 4 कर्मचारियों (पिछले वर्ष 6 कर्मचारी) के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 66.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 96.56 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यों के कारण 31.03.2019 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2019 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
2. अन्य ट्रेड देय में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

ड. निवेश

केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सिंदरी, गोरखपुर, रामागुण्डम और तलचर के पुनर्जीवन के लिये निम्नलिखित निवेश किये हैं-

Rs.4.59 Lakh. As per guideline of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve.

9. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

1. Current liability includes an amount of Rs.66.08 Lakhs (previous year Rs.96.56 Lakhs) in respect of VSS compensation for 04 employees (previous year 04 employees), whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2019 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2019 will be accounted for after release of these employees.
2. Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakhs (previous year Rs. 5.23 lakhs) in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

E. INVESTMENTS

As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher, following investment are made: -

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) रामागुण्डम को 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर 10,000 इक्विटी शेयर में निवेश किया है और कम्पनी को 10 रुपये प्रत्येक के 10,000 इक्विटी शेयर में आवंटित किये गये हैं। शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त हो गये हैं। फिर भी, वर्ष 2017-18 में आर एफ सी एल ने 92.52 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर एफ सी आई एल को पदार्थ के रूप में योगदान के लिये 10/- रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य पर कम्पनी (आर एफ सी एल) के आर्टिकल आफ एसोसियेशन की शर्तों के अनुसार जारी किये हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी ने:

- 23.27 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर प्राप्त किये हैं, और
- शेष बकाया 28.71 करोड़ रुपये की राशि को सी ए जी के दिनांक 8.11.2018 के पत्र की सिफारिश के अनुसार बट्टे खाते डाल दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में डेबिट करके लिखा गया है।

वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने 0.50 लाख रुपये तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के प्राप्त हुये हैं।

वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने 1,66,670/- रुपये हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) में 10/- रुपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयर में निवेश किये हैं। कम्पनी ने शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिये हैं।

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s.Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued equity share of Rs.92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has:

- Received equity share of Rs.23.27 Crore only; and
- The remaining balance to the tune of Rs. 28.71 crores have been written off by debiting the Profit & Loss Account on the recommendation of CAG wide letter dated 08.11.2018.

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd.") and received 5,000 equity share of Rs.10/-) each.

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs.1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs.10/- each. The share certificates have been received by the company.

च. विविध

1. निदेशक मंडल की राय में सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
2. चूंकि कम्पनी में बहुत समय से उत्पादन प्रचालन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक 31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।
3. क. ट्रेड से प्राप्त होने योग्य बकाया भूतपूर्व कर्मचारियों के भुगतान, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखों में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 26.52 लाख रुपये (पिछले वर्ष 27.40 लाख रुपये) अप्रैल 2014 से पुष्टि और मिलान होने पर निर्भर करता है। साथ ही सिन्दरी एकक में एफ.सी.आई.एल. की भूमि पर पी.डी.आई.एल. द्वारा कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाये गये थे और इनमें से कुछ स्टाफ क्वार्टर एफ.सी.आई.एल. द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं और पी.डी.आई.एल. को इन क्वार्टरों का देय किराया के विषय में अभी समझौता होना है।

4. बिक्री कर का निर्धारण जो (अपील में लंबित हैं उनको छोड़कर) निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा कर लिया गया है।
5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक

F. MISCELLANEOUS

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
2. Since, Company did not have manufacturing operation since long, therefore as per "Companies (Cost Records & Audit) Amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2018-19.
3. a) Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.

b) Balance of Rs.26.52 Lakh (Previous year Rs.27.40 lakh) receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2014. Further, in Sindri Unit, certain staff quarters were built by PDIL on the land owned by the FCIL and some of these staff quarters were used by FCIL and the matter of rent payable to PDIL for these quarters is yet to be settled with PDIL.
4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to AY 2017-18.
5. The Corporate Assessment is completed up to Assessment Year 2016-17. The Income Tax

के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश पर आई.टी.ए.टी. के पास अपील की है।

6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी.एस.एस के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी आई एफ आर द्वारा दिनांक 17.5.2004 को बन्द करने की संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी एकक अप्रचलन में है। तत्पश्चात, सी सी ई ए के दिनांक 10.8.2011, 9.5.2013 के निर्णय तथा कैबिनेट के 13.07.2016 के निर्णय के अनुसार सभी एकक पुनरुद्धार में हैं जहाँ उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति को पुनरुद्धार कर रहे पी एस यू को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। किये जा रहे हैं तथा जो मद उपयोग में नहीं है उनका निपटान किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर स्थायी परिसम्पत्तियों एवं वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यपान नहीं किया जा सका है।

7. कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण नहीं किया है।

8. उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (प्लांटों को छोड़ कर)

तलचर एवं रामगुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एकाकों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है।

कम्पनी ने निम्न कंपनियों में निवेश किया है:

Department is in appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2012-13.

6. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units remained non-operational during the year. Further, follows the decision of CCEA on 10.08.2011, 09.05.2013, and Cabinet decision dated 13.07.2016, all the Units are under revival where usable assets have been /are being handed over to reviving PSU's and unusable items are disposed off. Therefore, physical verification of fixed assets and inventories could not be carried out except at Central Office.

7. In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

8. **Assets Revaluation of usable assets (except 'Plants')**

In Talcher and Ramagundam Units the effect of revaluation of fixed assets has been taken in the financial books in the financial year 2014-15. The revaluation of usable fixed assets was made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and Ramagundam Units respectively.

The Company has made investments in Companies namely

क) रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

ख) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और

ग) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसार यदि उसके एक या अधिक सहयोगी हैं जिसमें सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम सम्मिलित हैं तो कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। इन निवेशक कंपनियों ने अपने स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरण इण्ड ए एस के अनुसार तैयार किये हैं और इसी लिए अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को भी अपने वित्तीय विवरण इण्ड ए एस के अनुसार तैयार करने होंगे।

कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनी का कंपनियों में निवेश, जैसा कि इण्ड ए एस-31 में प्रावधान है “संयुक्त उद्यम में हित” “संयुक्त उद्यम” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कंपनी उपर्युक्त कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों पर संयुक्त नियंत्रण का उपयोग नहीं करती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है।

9. वर्ष 2001 में आई ई एल, एफ सी आई एल और बी सी सी एल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते में और/या व्यवस्था की गई थी जिसमें बी सी सी एल द्वारा एफ सी आई एल को कोयला की आपूर्ति करनी थी और इसके बदले में एफ सी आई एल द्वारा आई ई एल को उसी कीमत का अमोनियम नाइट्रेट (ए एन) की आपूर्ति करनी थी और आई ई एल द्वारा बी सी सी एल को उसी कीमत के बराबर विस्फोटक की आपूर्ति करनी थी। ब्रेकडाउन

a) Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited,

b) Talchar Fertilizers Limited and

c) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

As per the Joint Venture Agreements, Section 129(3) of the Companies Act, 2013, requires a Company to prepare Consolidated Financial Statements, if it has one or more subsidiaries, which include associate company and joint venture. These investee Companies have prepared their Standalone Financial Statements as per Ind AS and therefore the other jointly controlled entities would also have to prepare its Financial Statements as per Ind AS.

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures’ as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2019.

9. In 2001, a tripartite deal and/or arrangement was entered amongst IEL, FCIL and BCCL in which BCCL was to supply coal to FCIL, FCIL in turn supply Ammonium Nitrate (AN) to IEL of equivalent value and IEL was to supply explosives to BCCL equivalent to the same value. Owing to breakdown, FCIL could not supply AN to IEL and IEL filed a suit for declaration of IEL as Secured Creditors, permanent injunction and recovery of

के कारण एफ सी आई एल द्वारा आई ई एल को आपूर्ति नहीं हो सकी और आई ई एल ने 5,27,62,386/- रुपये का (4,20,41,622/-) रुपये मूल के तथा 1,07,20,614/- रुपये 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज के दिसम्बर 2001 से अप्रैल 2003 तक) आई ई एल को सुरक्षित लेनदार घोषित करने का सूट, स्थाई इन्जंक्शन और रिकवरी का सूट अलीपोर न्यायालय में फाइल कर दिया था।

अलीपोर न्यायालय ने 3.3.2009 को आदेश 12, नियम 6 के अंतर्गत सी पी सी ने घोषणा, वसूली और स्थाई इन्जंक्शन की डिक्री को पारित कर दिया था। डिकरेटल राशि के 5,27,62,386/- रुपये सहित जब तक भुगतान की प्राप्ति न हो जाये, भाविष्य के 12 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दी गई। उपर्युक्त 3.3.2009 के आदेश पर हमारी अपील को (डिकरेटल राशि) 5,27,62,386/- रुपये कोलकाता उच्च न्यायालय में जमा करने के पश्चात सुना गया। इस राशि को निष्पादन न्यायालय के समक्ष जमा कराया गया जिसे आई ई एल को निकालने की अनुमति दी गई थी। कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई की और दिनांक 30.3.2016 के आदेश में एफ सी आई एल की अपील को निरस्त कर दिया लेकिन 12 प्रतिशत ब्याज को घटा कर 9 प्रतिशत कर दिया जो कि लगभग 5.22 करोड़ रुपये बनती है, इसका वर्ष 2016-17 के लेखों में प्रावधान किया गया है।

एफ सी आई एल ने उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एस एल पी संख्या 17188 के अंतर्गत चुनौती दी है, जो कि 31.3.2019 तक लंबित था। 9.4.2019 को केस का निपटारा/समझौता हो गया है और गतिरोध समाप्त हो गया है और इस संबंध में दोनों ओर से आगे कोई दावा नहीं किया जायेगा। वर्ष के दौरान लेखांकन कर लिया जायेगा।

Rs.5,27,62,386/- (Rs.4,20,41,622/-) principal amount plus Rs.1,07,20,614/- interest @ 18% w.e.f December 2001 to April 2003) before Alipore Court.

On 3.3.2009, the Alipore court under Order 12 Rule 6, CPC passed the decree of declaration, recovery and permanent injunction. Recovery of decretal amount of Rs.5,27,62,386/- was allowed with future interest @ 12% till realisation. Our appeal against the above order dated 3.3.2009 was heard but subject to deposit of Rs.5,27,62,386/- (the decretal amount). This amount was deposited before Execution Court which were allowed to be withdrawn by the IEL. High Court, Kolkatta heard the appeal and vide order dated 30.3.2016, dismissed FCIL appeal but the 12% interest was reduced to 9%, which approximately comes to Rs. 5.22 crore, provision has been provided in books of account in FY 2016-17.

FCIL has challenged the above High Court order in Supreme Court vide SLP No.17188 which was pending as on 31.03.2019. On 09.04.2019 the case has been disposed/ settled and dispute shall stand closed and there will be no claim made by both the sides in respect of the subject matter. The accounting entry will be passed during the year.

10. पिछले वर्ष के वित्त वर्ष में सांविधिक लेखा परीक्षक का मत था कि अधिनियम की धारा 115 जे बी के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी आय कर का भुगतान करेगी। सी ए जी का यह भी मत था कि बिक्री से प्राप्त धन को पट्टे की अवधि में बाँटा जायेगा और एक वर्ष के कर में नहीं लिया जायेगा।

कंपनी ने विशेषज्ञ की राय ली है जो कि यह व्यक्त करता है कि प्राप्त हुई आय, आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काल्पनिक रूप का है और कर योग्य नहीं है, इसी आधार पर कंपनी ने धारा 115 जे बी के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं किया है और विचारणीय वर्ष में 28.71 करोड़ रुपये के प्रावधान को वापस ले लिया गया है।

11. विचारणीय वर्ष में कंपनी ने 185.63 करोड़ रुपये की स्थायी परिसम्पत्ति और वस्तुसूची मै. एम.एस. टी.सी. के माध्यम से, जैसा है जहाँ है के आधार पर बेचा है। यह बिक्री मै. पी डी आई एल से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बिक्री से प्राप्त धन, मदों के अनुसार अर्थात् वस्तुसूचियों से प्राप्त राशि और स्थायी परिसम्पत्तियों से प्राप्त राशि का विभाजन संभव नहीं था अतः मै. पी डी आई एल के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वस्तुसूची के मूल्य और स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्य को बिक्री से प्राप्त राशि में से उनके अनुपात के आधार पर बाँटा गया है।

12. कंपनी ने जीएसटी कानून में निर्धारित नियम और विनियम के पालन करने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन अभी भी वर्ष के दौरान मुख्य रूप से संदिग्धता और अनिश्चितता के कारण करदाता इस प्रकार के सभी फार्म/रिटर्न के सही होने और सटीकता को सत्यापित नहीं कर सकता है।

10. In the immediate preceding financial year, the Statutory Auditor was of the opinion that the Company is liable to pay Income-tax under the provisions of Section 115 JB of the Act. Further, the CAG was of the opinion that the sales consideration as received should be distributed over the life span of lease and should not be offered to tax in one year.

The Company has obtained opinion from an expert which *inter alia* states that the income as received is hypothetical in nature and is not exigible to tax under the provisions of Income-tax Act, based upon the same, the Company has not paid tax under section 115JB and the same provision has been reversed provision to the tune of Rs. 28.71 crores in the year under consideration.

11. During the year under consideration the Company has sold fixed assets and inventory through M/s. MSTC Limited to the tune of Rs. 185.63 crores, on as is where in basis. The same sales were made based upon the valuation report as received from M/s. PDIL. The bifurcation of the sales consideration was not possible item wise i.e. as monies received for inventory and monies received for fixed assets, hence, the same has been done by allocating the sales consideration in the ratio of value of inventory and fixed assets as per the valuation report of M/s. PDIL.

12. The Company has made best efforts to comply with the rules and regulations as envisaged in the GST Law, still the Assessee can not attest the correctness and accuracy of all such forms/returns mainly due to ambiguity and uncertainty of the applicability of the same for the relevant period.

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(I) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- 1) श्री सुशील कुमार लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 01.07.2014 से 22.02.2018 तक।
- 2) श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 22.02.2018 से अब तक।
- 3) श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त), 04.10.2017 से अब तक।
- 4) श्री डी. पी. श्रीवास्तव, निदेशक, 04.01.2016 से 14.11.2018 तक।
- 5) श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक, 08.9.2016 से अब तक।
- 6) श्री हरबिंदर सिंह, निदेशक, 14.11.2018 से अब तक।

(II) संयुक्त उद्यम कम्पनी

- 1) रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- 2) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड)
- 3) हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है जिसकी रिपोर्टिंग की जाये।

G. RELATED PARTY DISCLOSURES

(I) Key Management Personnel:

- 1) Shri Sushil Kumar Lohani, Chairman & Managing Director 01.07.2014 to 22.02.2018.
- 2) Shri Dharam Pal, Chairman & Managing Director, 22.02.2018 till date.
- 3) Shri Niranjana Lal, Director (Finance) 04.10.2017 till date.
- 4) Shri D.P. Srivastava, Director 04.01.2016 to 14.11.2018.
- 5) Shri Anilkumar V. Patil, Director 08.09.2016 till date.
- 6) Shri Harbinder Singh, Director 14.11.2018 till date

(II) Joint Ventures Company

- 1) Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited.
- 2) Talchar Fertilizers Ltd. (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd.)
- 3) Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.

H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.

झ. आय पर कर

सरकार द्वारा निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भावी कर योग्य लाभ के आभासी अनिश्चितता के अभाव में मैट क्रेडिट/पात्रता को लेखों में नहीं लिया गया है।

ञ. प्रावधान में बदलाव

(लाख रुपये)

अनुबंधक दायित्व और कानूनी मामले	2018-19	2017-18
प्रारम्भिक	604.09	522.44
जोड़े	शून्य	81.65
निकासी/समायोजना	604.09	शून्य
अंतिम बकाया	शून्य	604.09
अन्य, ऋण एवं अग्रिम एवं वस्तुसूची	2018-19	2017-18
प्रारम्भिक	5462.84	5499.09
वर्ष के दौरान बढ़त	171.77	63.57

I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

MAT credit/ entitlement has not been recognised in the books of accounts due to absence of virtual certainty of future taxable profit as stated above.

J. Movement in Provisions

(Rs. in Lakhs)

Contractual obligation and Legal cases	2018-19	2017-18
Opening	604.09	522.44
Additions	NIL	81.65
Withdrawal/adjustment	604.09	NIL
Closing Balance	NIL	604.09
Others, Debts & Advances & Inventory	2018-19	2017-18
Opening	5462.84	5499.09
Additions during the year	171.77	63.57

वर्ष के दौरान निकासी/ समायोजन	2,392.74	99.82
अंतिम बकाया	3,241.87	5462.84

Withdrawal/adjustment during the year	2,392.74	99.82
Closing Balance	3,241.87	5462.84

ट. प्रति शेयर अर्जन

प्रतिशेयर बेसिक अर्जन जो कि प्रति शेयर अर्जन से संबंधित है जिसकी गणना कर नें के बाद निवल लाभ को उस अवधि में बकाया कुल भारित औसत शेयर में से विभाजित करके प्राप्त किया गया है जो कि इस प्रकार है:

	2018-19	2017-18
इक्विटी शेयर धारक को देय वर्ष का निवल लाभ (लाख रुपये)	16,477.78	11395.39
शेयरों की संख्या	75,09,239	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रुपये में)	1,000	1,000
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल (रुपयों में) :	(+) 219.43	(+)151.75
द्रवीय (रुपयों में) :	(+)219.43	(+)151.39

ड. अतिरिक्त सूचनाएँ

	31.3.2019 को	31.3.2018 को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

K. EARNING PER SHARE

Basic Earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

	2018-19	2017-18
Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh)	16,477.78	11395.39
No. Of Shares	75,09,239	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.)	1,000	1,000
Earning per Share :		
Basic (In Rs.):	(+) 219.43	(+)151.75
Diluted (In Rs.) :	(+)219.43	(+)151.39

L. ADDITIONAL INFORMATION

	As on 31.3.2019	As on 31.3.2018
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Materials Consumption	Nil	Nil
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

ड. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन/वर्गीकृत कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया गया जा सके।

M. Previous year's figures have been regrouped/ re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

ढ. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2019 को As at 31.03.2019	31.03.2018 को As at 31.03.2018
(I) आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent Liabilities		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित ब्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
बिक्री कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	2,488.60	2,488.60
सम्पत्ति कर के लिये माँग	Demand for Property Tax	16.64	16.64
उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग	Demand for Excise Duty/Customs	383.91	383.91
बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि	Estimated amount of contract remaining to be executed	104.08	115.74
आनुतोषिक****	Gratuity****	3,000.00	3,000.00
मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Pending decision of Court/under Arbitration	1,132.18	1,331.42
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 14-15**	Income Tax demand A.Y. 14-15*	267.10	267.10
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 13-14**	Income Tax demand A.Y. 13-14**	4,14,657.92	4,14,657.92
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10***	Income Tax demand A.Y. 09-10***	2,12,616.78	2,13,616.78
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 12-13***	Income Tax demand A.Y. 12-13***	588.21	588.21
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12***	Income Tax demand A.Y. 11-12***	1,750.02	1,750.02
आयकर की मांग विदेशी तकनीशियन	Income tax demand foreign technicians	19.14	19.14
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent Liabilities	6,38,036.24	6,38,235.48
(II) प्रतिबद्धता	(II) Commitments	-	-
		6,38,036.24	6,38,235.48

*आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है।

*Appeal has been filed with (ITAT)

**आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है।

**Appeal has been cleared by ITAT in favour of the Company

****भूतपूर्व कर्मचारी को तदर्थ भुगतान की गई राशि पर आनुतोषिक के भुगतान किये जाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है। इसी अपील के साथ अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों के इसी प्रकार के दावों को एक साथ कर दिया गया है।

***SLP's filed with Hon'ble Supreme Court against the order of Allahabad High Court for the payment of gratuity on account of adhoc payment to ex-employees. Similar claims of other ex-employees also clubbed with the aforesaid appeal.

*कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कानूनी परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में सफल होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

*The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

***कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कर परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं है, कार्यवाही में सफल होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

***The company is contesting the demands and the Management, including the tax counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2019 तक समाप्त वर्ष के लिये)

CASH FLOW STATEMENT (For the year ended 31st March, 2019)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: A Cash Flow from Operating Activities				
कर एवं पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ	Net Profit Before Tax & Prior period adjustments and Extra ordinary items	15,184.53	14,527.02	3,479.78
समायोजन के लिये:	Adjustments for :-			
वर्ष के दौरान मूल्यहास	Depreciation for the year	8.61	12.04	11.71
स्थायी परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Fixed Assets	(16,766.15)	(125.60)	(5,308.97)
ब्याज पर व्यय	Interest Expense	1.48	197.66	31.05
ब्याज से आय	Interest Income	(2,633.41)	(2,215.91)	(2,085.94)
विशिष्ट आय—हस्तांतरण	Exceptional Income - Transfer	2,870.75	(14,449.27)	-
संदिग्ध वसूली योग्य के लिये प्रावधान	Provision for doubtful recovery	(620.24)	-	99.00
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for doubtful debts	171.77	63.57	65.42
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	Operating Profit before Working Capital changes	(1,782.66)	(1,990.49)	(3,707.95)
समायोजन के लिये:	Adjustments for :-			
ट्रेड देय में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in trade payables	(6,392.32)	(10.25)	(1,762.29)
प्रावधान में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in provisions	(2,836.51)	120.81	90.29
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) long term liabilities	(777.85)	47.65	51.45
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in other current liabilities	(3,821.30)	122.74	54.18
ट्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in trade receivables	(76.27)	(63.28)	(66.04)
वस्तुसूचियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(increase) in inventories	704.33	-	189.15
ऋण एवं अग्रिम में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in loans and advances	1,729.95	461.34	(103.87)
अन्य परिसम्पत्तियां जो चालू नहीं हैं में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in other non-current assets	55.16	53.00	1,716.05
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in other current assets	(215.53)	(17.35)	444.05
प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Cash generated from Operations	(13,413.00)	(1,275.83)	(3,094.98)
भुगतान किया गया कर (समायोजन का निवल)	Tax paid (net of adjustments)	-	(721.37)	216.14

(जारी/Continued)

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2019 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT

(For the year ended 31st March, 2019) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31 मार्च 2019 को As at 31 March 2019	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
असाधारण मदों से पहले नगद प्रवाह	Cash flow before Extra ordinary items	(13,413.00)	(1,997.20)	(2,878.84)
असाधारण मदें	Extra ordinary items	-	-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद	Net cash from Operating Activities	(13,413.00)	(1,997.20)	(2,878.84)
ख. निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities			
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	Proceeds from sale of fixed assets	18,456.58	131.11	5,662.22
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(4.29)	(5.20)	(2.48)
निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchase of non current investment	(2,327.01)	-	(1.67)
परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त अग्रिम	Advance received against sale of assets	-	3,712.60	-
बैंक जमा में निवेश, रिडेम्पशन का निवल (जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने से अधिक की है लेकिन 12 महीने से कम है)	Investments in bank deposits net of redemption (having original maturity of more than three months but less than 12 months)	(5,325.89)	(3,418.54)	(4,861.51)
प्राप्त ब्याज	Interest received	2,633.41	2,215.91	2,085.94
निवेश गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	Net Cash flow from Investing Activities	13,432.80	2,635.88	2,882.50
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:	C. Cash Flow from Financing Activities			
ऋण एवं अग्रिम जो चालू नहीं है	Non current Loans & Advances	(115.24)	-	-
ब्याज खर्च	Interest Expenses	(1.48)	(51.06)	(31.05)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद	Net cash from Financing Activities	(116.72)	(51.06)	(31.05)
नगद और नगद के बराबर निवल बढ़त / घटत (क+ख+ग)	Net Increase /decrease in Cash & Cash equivalents(A+B+C)	(96.92)	587.62	(27.39)
प्रारम्भ में नगद और नगद के बराबर	Opening Cash & Cash equivalent	1,762.30	1,174.68	1,202.07
अंत में नगद और नगद के बराबर	Closing Cash & Cash equivalent	1,665.38	1,762.30	1,174.68
नगद और नगद के बराबर का मिलान	Reconciliation of Cash & Cash equivalent			
बैंकों में बकाया:	Balance with banks in :			
चालू खाता में	Current accounts	533.99	680.93	136.41
फ्लैक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	1,127.14	1,076.10	1,035.10
नगद हाथ में	Cash in hand	4.24	5.27	3.17
तुलन पत्र के अनुसार नगद एवं नगद बकाया	Cash & Cash Balance as per Balance Sheet	1,665.37	1,762.30	1,174.68

(जारी/Continued)

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2019 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2019) (Continued)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

ह०/- Sd/-
(अनिल कुमार वी. पाटिल)/(Anilkumar V. Patil)
निदेशक/Director
डिन/DIN 07039255

ह०/- Sd/-
(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
डिन/DIN 07965269

ह०/- Sd/-
(धर्मपाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/Chairman & Managing Director
डिन/DIN 02344549

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. आर. के. तुली एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. R.K. Tuli & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-01847एन
Firm Registration No.001847N

ह०/- Sd/-
(आर. के. तुली) (R.K. Tuli)
भागीदार/Partner

एम. संख्या/M.No.081019

यूडीआईएन/UDIN : 19081019AAAAAN4129

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 2nd September, 2019



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)